779
12\12\12

खण्ड-11 संख्या-18

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(कार्यवाही भाग-2, प्रश्नोत्तररहित)

सत्यमेव जयते

बुधवार

तिथि 28 जुलाई, 1993 ई०

पर जो शिक्षक हैं और जो शिक्षकेत्तर कर्मचारी हैं उन पर क्या मुसीबत होती है? कांग्रेस की जब सरकार थी, उस सरकार ने इस मद में कुछ एड देने का निर्णय लिया था, उसमें कुछ घाटा अनुदान देने की योजना बनाई गयी थी। लेकिन इस सरकार ने एक पैसा भी इंटरमीडिएट वालों को नहीं दिया इसलिए इनको बड़ी परेशानी हो रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण के जो काम चल रहे थे वे सारे काम बंद हैं। ग्रमीण विद्युतीकरण को जो काम था वह सारा काम बंद हैं। सभापति महोदय, हमारे यहां जो सबडिविजन औफिस बिजली का है वह कटोरिया से 12 कि० मी० दूर पर है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो अमरपुर सबडिवीजन बिजली विभाग का है अगर ग्रामीण विद्युतीकरण को ठीक से चलाना चाहते हैं तो उसे कटोरिया लाया जाय। सभापति महोदय, बांका नया जिला बना है। समाहरणालय के भूमि का चयन नहीं किया गया है, साईट सेलेक्सन नहीं हुआ है, विभिन्न विभागों के पदा० की पोस्टिंग नहीं हुई है इसलिए वहां कोई काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, आप सुल्तानगंज से देवघर गये होंगे। पिंछले टाइम में भी काम्ल एटेंसन हुआ था सारे रोड के चौड़ीकरण की बात हुई थी लेकिन काम नहीं हुआ। सारा काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। रोड-चौड़ीकरण नहीं होने से कांवरियों को काफी कठिनाई होती है।

सभापति : अब अपना भाषण समाप्त करें। वाद-विवाद जारी रहेगा।

सामान्य लोक हित के विषय पर विमर्श

(क) राज्य में व्याप्त सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विमर्श

सभापति : बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 43 के अन्तर्गत श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स०, श्री जगदीश शर्मा, स०वि०स०, श्री अम्बिका प्रसाद, स०वि०स०, श्री प्रशान्त कुमार स०वि०स०, श्री रेवाकान्त द्विवेदी, स०वि०स०, डा० जगन्नाथ मिश्र, नेता विरोधी दल, श्री देवनाथ प्रसाद, स०वि०स०, श्री गिरिनाथ सिंह, स०वि०स०, श्री चुन्नीलाल राजवंशी, स०वि०स०, श्री देवन्नदन प्रसाद, स०वि०स० श्री रामशरण यादव, स०वी०स०, श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद, स०वि०स०, श्री रामनाथ यादव, स०वि०स०, श्री हरिराम सरदार, स०वि०स०, श्री रामलखन सिंह, स०वि०स०, श्री हीवर गुड्डीया, स०वि०स०, श्री इन्दर सिंह नामधारी, स०वि०स०, श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा, स०वि०स०, श्री कृष्णा प्रसाद, स०वि०स०, एवं श्री

बाबू लाल, स०वि०स० से सामान्य लोक हित के विषय पर विमर्श की निम्न सूचना प्राप्त हुई है:-

28/7/93

"यह सभा राज्य में व्याप्त सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श करे।"

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह : महोदय, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 43 के अनुरुप यह सभा राज्य में व्याप्त सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श करे"

सभापति : मुनीश्वर बाबू, आपके यहां सुखाड़ है या बाढ़?

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह : सुखाड़ है। सब जगह सुखाड़ है। सभापति महोदय, आज बिहार में सूखे की स्थिति पर सदन में विचार हो रहा है। पिछले तीन वर्षों से अनावृष्टि के कारण बिहार सूखे की परिस्थिति में है। सूखे के कारण पूरा राज्य आज तबाह है। जल रहा है, जिस इलाके में बाढ़ आयी है वह इलाका कम सूखा नहीं है। बाढ़ से तबाही हुई होगी लेकिन वहां सूखा भी कम नहीं है। पूरा राज्य सूखा से तबाह है, सूखा की चपेट में है इसका कारण है कि यह प्रकृति का प्रकोप है। प्रकृति प्रकोप इस राज्य में तीन साल से चला आ रहा है। यह सबसे दुखद बात है। सभापति महोदय, रामायण में है जहां का राजा कुकर्मी होता है वहां अकाल पड़ता है। आज जो स्थिति हमारे राज्य की है वह अत्यन्त ही भयावह है। पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा है। यह बड़ी ही दुखद बात है। अन्न की बात तो दूर है बिहार की जनता को पानी तक पीने को नहीं मिल रहा है। यहां का जलस्तर नीचे चला गया है। जब वर्षा होती है तो जलस्तर ऊपर रहता है। आज वर्षा के अभाव में जलस्तर इतना नीचे आ गया है कि गांव के लोगों को पीने को पानी का पानी नहीं मिल रहा है। इनका पी० एच० ई० डी० डिपार्टमेंट इतना निकम्मा है कि वह जलापूर्ति योजना भी कारगर ढंग से नहीं चला पा सकती है। 12-13 साल की जो जलापूर्ति योजना गांव की है वह खटाई में आज पड़ी हुई है। चापा कल गाड़ने की बात होती है वह भी गाड़ पाते हैं विधायक लोग को कोटा दे देते हैं लेकिन ये पूरा उसे नहीं कर पाते हैं। इनको फंड का अभाव है। यह इनकी इच्छा शक्ति की कमी है। इनको मशीनरी को-ऑपरेट नहीं करता है। सबसे दुखद बात है कि गांव में तमाम जगह पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े ने सभी गांवों

में पेयजल आपूर्ति करा दिया, लेकिन यह सरकार केवल सामाजिक न्याय की बात करती है। यह सरकार गांव में पीने का पानी नहीं दे सकती है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसी योजना बनावें जिससे गांव के लोगों को पेयजल मिलता रहे। गांव के खेत जो आज सूख रहे हैं इसके लिए स्टेट बोरिंग गाड़ने की व्यवस्था की जाय। अगर ऐसा कर सकेंगे तो खेती उपजाऊ हो सकता है। वरना उपज नाम की कोई चीज नहीं रह जायेगा। इन्हें गरमा फसल में चिनियाबादाम उपजाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सकरकन्द उपजाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कम से कम मानव को खाद्य पदार्थ मिल सके। आज धान नहीं हो रहा है। सूखे की स्थिति से ऐसा होने पर कम से कम मानव को पीने का पानी अन्न तो मिल जायेगा। सरकार इसके लिए गांव की खेती को उपजाने लायक व्यवस्था करे वरना किसान इसे बर्दाशत नहीं करेगा। खेतों में पानी, पीने का पानी गांव में कहां से आवेगा इसके लिए व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। सभापति महोदय, हम मानते हैं कि वर्षा का अभाव है। इनकी इच्छा शक्ति रहती तो ये बायो गैंस लेने की व्यवस्था करते। आज सदन में इसी बिन्दू पर हमलोगों विचार करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर इनके पास धन रहता तो ये धन से अमरीका या रूस से कृत्रिम वर्षा कराने की व्यवस्था करते। अभी जो स्थिति चल रही है अगर ऐसी स्थिति रही तो एक दिन भूखमरी की स्थिति आ जायेगी। और इसके बाद अकाल संहिता लागू करना चाहिये, यह अकाल संहिता बहुत पुराना है, इसको बदलना पड़ेगा। ये (सरकार) कहते हैं कि मुखिया के पास हमने पांच क्वींटल गेहूँ रख दिया हैं, इस पांच क्वींटल से कुछ होनेवाला नहीं है, आज जिनके पास अन्न नहीं है उनको लाल-कार्ड देने की व्यवस्था करे। आज गढ़वा में, समूचा पलामू जल रहा है, यह ड्रोट प्रौन एरिया है यह बहुत जमने से ड्रोट प्रौन एरिया रहा है, सुख की स्थिति यहां बराबर रहती है, इतना ही नहीं आज उत्तर बिहार में भी सूखा की स्थिति आ गई है, बाढ़ आई है तो इससे बहुत ज्यादा फसल उपजायेगें-यह असम्भव बात है, आज पूरे राज्य में सूखा की स्थिति है, उस स्थिति से निबटने के लिये इनको चाहिये कि हम कारगर कदम उठायें, कारगर कदम उठाने में यह सरकार अक्षमता का द्योतक बनी हुई है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज लाल-कार्ड और साथ ही साथ गांवों में सस्ती रोटी की दुकान खुलवाने की व्यवस्था करे और सस्ते रोटी की दुकानों से, जो मजदूर हैं वे खरीदेंगे, खायेंगे, जो गरीब हैं, वे खरीदेंगे, खायेंगे

और वे अपना जीवन-यापन चला सकते हैं। इसके लिये आप लाईट मैनुअल स्कीम एवं हार्ड मैनुअल स्कीम चलाने की व्यवस्था कीजिये, हार्ड मैनुअल स्कीम के अन्तर्गत जे॰आर॰वाई॰ के अन्तर्गत जो कार्य होते हैं, उसका आप गांव में जाकर देखिये कि कितने प्रतिशत कार्य होते हैं, उनमें आपके जो बिचौलिया हैं, अधिकारी हैं वे खा जाते हैं। मजदूर जहां-तहां से पकड़ कर लाते हैं और कार्य का कार्यान्वयन कराते हैं और गांव में जो बैठे हुये मजदूर हैं उनको काम नहीं मिल पाता है, इसका भी सर्वेक्षण करना चाहिये आपके कितने लोागें को हार्डमैनुअल स्कीम में काम करा सकते हैं, काम करेंगे, हम उनको पैसा देंगे, अन्न देंगे और सस्ती दर पर अन्न देकर खिलाने की व्यवस्था करेंगे।

सभापति : अब आप समाप्त करेंगे, सुखाड़ पर बहुत सारे मान्नीय सदस्य बोलने वाले हैं, मूभर को 15 मिनट का समय दिया जाता है, आपको 15 मिनट का समय दिया गया है।

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह : मुझे और पांच मिनट का समय दिया जाय, मेरा 3-4 मिनट का समय तो मान्नीय सदस्यों ने मार लिया है। ......

सभापति : इसमें अधिक से अधिक मान्नीय सदस्य बोलना चाहते है.

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह : मैं आसन के आदेश को आदेश मानता हूँ, मैं उससे इधर-उधर नहीं होता हूँ, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे और पांच मिनट का समय दिया जाय। तो मैं कह रहा था कि हार्ड मैनुअल स्कीम चलाने की व्यवस्था सरकार करे और साथ ही साथ जो किसान तकावी लोन लेना चाहते हैं उनको धड़ल्ले से लोन देने की व्यवस्था हो और ऋण वसूली और मालगुजारी वसूली का जो काम होता है उसे बंद करना चाहिये, नहीं बंद करेंगे तो किसानों की माली हालत ऐसी नहीं है कि वे दे पायेंगे- इसलिये इसको बंद करना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा काम लोगों को मिले ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये सरकार को। सरकार योजना मद या गैर-योजना मद में खर्च करना चाहती है तो उसको गांव की ओर जाना पड़ेगा। स्थिति से मुकाबला करने के लिए एक सर्वदलीय समिति का गठन करनी चाहिए। राज्य स्तर, जिला स्तर, और प्रखंड स्तर पर इस तरह की संगठन स्थापित करनी चाहिए और उसके माध्यम से काम करना चाहिए। राज्यपाल की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय संगठन कायम किया जाना चाहिए। सभापति

महोदय, आपको याद होगा कि जब वर्ष 1967 में अकाल पड़ा था तो जे॰ पी॰ के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संगठन कायम किया गया और जे॰ पी॰ ने बड़ी मुस्तैदी से उस संगठन का संचालन किया था। उन्होंने देश-विदेश से पैसा वसूलने, मांगने का काम कर सके। हम और आप चाहें तो पैसा एकत्रित किया जा सकता है। आज स्वयं सेवी संस्था को दावत देकर गांव की ओर भेजने की आवश्यकता है। हम यहां बहस कर लें तो मात्र वह बहस तक ही रह जायेगी। सरकार को कोई कारगर कदम उठाना चाहिए। अब कुंभकर्णी नींद में सोने की जरुरत नहीं है। अब कुंभकर्णी नींद नहीं सोयें। कुंभकर्णी नींद में रहेंगे तो राज्य जल जायेगा। अगर राज्य को बचाना चाहते हैं तो आप सूखा से मुकाबला करने की दिशा में अग्रसर हों और सूखा की स्थिति में मुकाबला करें वरना बिहार जल जायेगा, और राख हो जायेगा।

श्री राम परीक्षण साहू : मेरी व्यवस्था यह है कि जब मान्नीय सदस्य कोई विशेष प्रस्ताव देते हैं तो प्रथम मूभर इसको मूभ करते हैं, भाषण देते हैं। परिपार्टी यह है कि पार्टी के वीप जो नाम देते हैं, उनका नाम आसन से पुकार जाता है। मान्नीय सदस्य जगदीश शर्मा जी जो घपला बतिआते हैं, इनका नाम तो इनके पार्टी वीप देते ही नहीं है।

सभापति : बैठ जायें। मान्नीय सदस्य श्री ओ॰ पी॰ लाल को बोलने दें।

श्री ओ० पी० लाल : सभापति महोदय, हमारा प्वायंट बहुत लिमिटेड हैं। मैं जो पांच मिनट का समय दिया है, इसके बदले मैं साढ़े चार मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। छोटानागपुर के दक्षिण और छोटानागपुर इलाके ऐसे मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि अगर उसको ध्यान में नहीं रखा गया और पूरे सदन के लोगों छोटानागपुर का ध्यान नहीं रखेगें तो निश्चित रुप से जो स्थिति पैदा हो रही है, उसी संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा क्षेत्र कोयला और खनिज का केन्द्र हैं जहां खेती मात्र 10 प्रतिशत होती है। 10 प्रतिशत खेती के अलावे, हुजूर, आपको बतायें, कि दुनिया का सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी हो गयी है। हमारे देश में जहां नदियों का जाल है, उन नदियों के जाल में ऐतिहासिक नदी दामोदर नदी है जो दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी है। छोटानागपुर में पेयजल का दो श्रोत है, एक तोपचांची लेक और दूसरा दामोदर नदी। केन्द्र सरकार इसके रिनोभेशन के लिए 85 करोड़ रुपया ऋण देने की घोषणा की लेकिन बिहार सरकार इसपर कुछ सोच नहीं रही है। अभी जो

हमारे इलाके में चापाकल गाड़ा जाता है, उसका अलग वाटर रिसोरर्स होता है। एक चापाकल गाड़ने में 17-18 हजार रुपया लगता है। अगर चापाकल से पानी नहीं निकला तो उसके बदले सरकार दूसरा चापाकल नहीं देती है उसको बंद करवा देती है। उत्तर बिहार में चापाकल में पानी 100 फीट और 50 फीट पर ही मिल जाता है लेकिन कोयला क्षेत्र में जहां हरिजनों और आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है और जो खन्न क्षेत्र हैं वहां नीचे कोयला है और ऊपर पानी नहीं मिल रहा है। इस तरह सुखाड़ की भयानक स्थिति पूरे प्रदेश की है इसलिए हमलोगों का इतना अधिकार बनता है कि जब मान्नीय मुख्यमंत्री ने बिहार प्रान्त के सूखे के लिए अपनी आवाज दीतो सभी दलगत भावना से ऊपर उठकर सबसे पहले कोयला क्षेत्र के श्रमिकों ने 1 लाख 64 हजार कोयला श्रमिकों ने 80 लाख रुपया बिहार सरकार को देने का वादा किया ओर सिर्फ वादा ही नहीं किया बल्कि 50 लाख रुपंया बिहार सरकार को एक मुश्त में दिया लेकिन यह बिहार सरकार का दायित्व बनता है कि धनबाद, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, इलाके में लोग पीने के पानी के लिए तड़प कर मर रहे हैं। वहां के लिए पीन के पानी का इंतजाम किया जाय। हुजूर, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि छपरा, सिवान, गोपालगंज की 7 सौ चिमनी, ईंट भट्टे धनबाद, बोकारो और हजारीबाग के बल पर चल रहे हैं। हमको इतना ही कहना है मुख्यमंत्री जी से और अनुरोध करना है कि 50 लाख रुपया जो कोयला श्रमिकों ने दिया है कम से कम उनको एक धन्यवाद पत्र तो मुख्यमंत्री जी की की तरफ से या उनके सचिवालय की ओर से जाना चाहिए था क्योंकि इन लोगों ने प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़ने का काम किया है। आज बड़ी जोरों से चर्चा होती है कि छोटानागपुर को अलग करो, झारखंड राज्य अलग करो, लेकिन मेरा कहना है कि छोटानागपुर के लोगों को पानी चाहिए, वहां बिजली चाहिए, वहां के लोगों को अमन और शान्ति चाहिए। इस सरकार ने मुख्य रुप से क्या किया, इस सरकार के शासन में आने के बाद आज झारखंड अलग करो के नाम पर सारा छोटानागपुर धू-धू कर जल रहा है, सारा कोयला क्षेत्र धू-धू कर जल रहा है। राजस्व वसूली के बारे में हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि जब हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय बिन्देश्वरी दूबे थे तो साढ़े छः सौ रुपया कोयला के राजस्व वसूली से आता था लेकिन इनकी सरकार की गलत नीति और अनुभव की कमी की वजह से यह राशि कम गयी है। यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आपकी कोयला शेष की राशि बढ़ सकती है। मैं राजस्व की बात कह रहा हूँ कि राजस्व नहीं बढ़ा इसलिए पैसा नहीं

आया और जब पैसा आया तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकी।

श्री शिवाधार पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति : बहस में अधिक से अधिक मा॰ सदस्यगण हिस्सा लेना चाहते हैं, कृपया समय बर्बाद न करें, मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता हूँ। शिवधार पासवान जी आप चिन्ता मत कीजिये, अभी बैठ जायं।

श्री ओ॰ पी॰ लाल : सभापति महोदय, धनबाद, हजारीबाग और छोटानागपुर के अन्य जिलों का जो रुपया बाकी है उसे वहां दे दें तो विकास का काफी काम हो सकता है।

सभापति : अब आप समाप्त करें। मा॰ सदस्य जगदीश शर्मा जी आरम्भ करें।

जगदीश शर्मा : सभापति महोदय, आज बिहार के बहुसंख्यक जिला में अकाल नहीं, महादुर्भिक्ष है। जिन जिलों में बाढ़ का असर है, मुझे ऐसी सूचना है कि कुछ पंचायत बाढ़ में डूबे हैं, लेकिन कुछ पंचायत सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं। यह जो प्राकृतिक प्रकोप है, सभापति महोदय, यह बहुत ही गंभीर है और अगर उनको पूरी तरह मुस्तैदी से, पूरी ईमानदारी से, इसका जो असर है, उसको दूर नहीं करेंगे तो लाखों लोग इस राज्य में मरेगें। सभापति महोदय, जो स्थिति बनी है, इस राज्य में, वह दूसरा साल है। पिछले वर्ष में यहाँ अकाल आया, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति इससे निपटने की नहीं थीं कि वह लड़ सकें। सभापति महोदय, मैं इस बात को मानता हूँ कि प्राकृतिक प्रकोप होता है, लेकिन जो साधन हैं, सरकार के, जो साधन हैं, उनके विभागों को, उसको जिस रफ्तार, जिस दृढता से संचालन करना चाहिए था, उसका संचालन राज्य सरकार ने नहीं किया है और इसलिए इस बार भी वर्षा नहीं हुई है। अगर राज्य सरकार ने मुस्तैदी से अपने विभागों को सर्तक नहीं किया तो निश्चित रुप से मैं कह रहा हूँ कि लाखों लोग इस अकाल के दुर्भिक्ष से मरेगें। सभापति महोदय, पिछले साल यहाँ अकाल आया था और जो वर्गीकरण प्रखंडों का किया गया था, उसमें प्रखंडो के वर्गीकरण में गड़बड़ियां की गयी थीं। अति गंभीर को गंभीर, गंभीर को साधारण। जो इनका रिर्पोट, इनका आंकलन था, कभी ठीक नहीं हुआ। उसका नतीजा है कि बहुत से ऐसे प्रखंड थे, जो अति गंभीर थे, उसको गंभीर कर दिया गया और जो गंभीर थे, उसको साधारण कर दियां गया।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार जो आप प्रखंडों का वर्गीकरण कीजियेगा, तो उसको आप ईमानदारी पूर्वक कराइये, पदाधिकारियों को आप निर्देश दीजिये कि बिहार में जो प्रखंड हैं और वह अकाल से प्रभावित हैं, उसको अविलंब अकाल क्षेत्र घोषित करें, यह आप अपने पदाधिकारियों को निर्देश दीजिये। सभापति महोदय, दूसरी स्थिति आती है, पीने के पानी का संकट का। खाने का व्यवस्था तो किसी तरह से किया जा सकता है, लेकिन पीने के पानी का गंभीर संकट है। आज जमीन के अंदर का पानी कुल खत्म हो गया है, इनके तमाम चापाकल सूख गये हैं, पिछले साल ही एक भी चापाकल का स्पेशल रिपेयर से मरम्मती का कार्य नहीं किया गया है, नये चापाकल नही गाड़े गये हैं, पूरे राज्य में दूषित पेयजल के कारण जगह-जगह भयंकर डायरिया जैसे रोग का प्रकोप है, बाढ़ और सुखाड़ से हजारों लोग मरे हैं। सभापति महोदय, हम सरकार के आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि युद्ध स्तर पर आप चापाकल गड़वाने का काम कीजिये, जो चापाकल का लेयर नीचे चला गया है, जो चापाकल खराब हो गया है, उसको आप स्पेशल रिपेयर के तहत मरम्मती कराइये। सभापति महोदय, इसके साथ ही बिजली का दूसरा स्थान है। सभापति महादेय, जो इनका बिजली विभाग है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, हमारी सरकार थी तो किसानों को बिजली के बकाया के बाद भी ट्रॉसफर्मर जल जाता था, तो उसको हमलोग बदल देते थे। लेकिन अभी जो इनका बिजली बोर्ड है, पिछले साल नियम बनाया है कि जिस इलाके में किसानों का ट्रॉसफर्मर जलेगा और वहां पर एग्रीकल्चर कनेक्शन रहेगा, तो जब तक 75 प्रतिशत बकाये राशि का भुगतान नहीं करेंगे, उनके जले ट्रॉसफर्मर को बदली नहीं होगा । बिजली विभाग के राज्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान विरोधी आदेश जो ट्रांसफर्मर बदलने का है उसको आप वापस लीजिये, नहीं तो अकाल में बिजली के द्वारा जो फसल हो सकती है, उस फैसले का बुरा असर किसानों पर पड़ेगा। क्योंकि आज किसान पूरे बिहार में ऐसी स्थिति में नहीं है कि बकाये राशि का वे भुगतान कर सके। सभापति महोदय, बिजली विभाग में जले हुए, कटे तार हैं, विद्युतीकरण के मामले में विगत तीन वर्षो में अकाल में भी बिजली बोर्ड एकदम सोया हुआ है, गंभीर निद्रा में सोया हुआ है, इनको जगाने का काम कीजिये। इसके अलावे सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की जो नहर प्रणाली है, सोन, कोशी मुंगेर में जो नहरें हैं, सकरी, टाटी, उत्तर कोयला, उदेरास्थान ये तमाम नहरों की नहर प्रणालियाँ सब टूटी

हुई हैं, इनकी मरम्मत नहीं हो सकी है, इनको आप अविलंब मरम्मत कराइये। इसके साथ ही आपका जो स्वास्थ्य विभाग है या जो दूसरा विभाग है, उसको मुस्तैदी कीजिये। डायरिया से हजारों लोग मर रहे हैं। इसी तरह से.......

सभापति : मान्नीय सदस्य श्री जगदीश शर्मा जी आप अपना भाषण समाप्त करें। मान्नीय सदस्य श्री देवनाथ प्रसाद आप अपना भाषण प्रारंभ करें।

श्री जगदीश शर्मा : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट का मौका दिया जाय, मैं एक मिनट में भाषण समाप्त कर दूंगा।

सभापति : ठीक है, आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जगदीश शर्मा : सभापति महोदय, राजकीय नलकूप का हमारे पास फीगर है, चूंकि समय काफी लगेगा, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि इनका जो राजकीय नलकूप है, वह 75 प्रतिशत आज बंद है। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, इसको चालू कराने की। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जो बंद राजकीय नलकूप हैं, उसको यह सरकार अबिलंब चालू कराये ओर यह सरकार अकाल से बिहार को बचाये, नहीं तो बिहार की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। यही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री देवनाथ प्रसाद : सभापति महोदय, नालंदा ज़िला पिछले दो वर्षों से भयंकर सुखाड़ के चपेट में है। सभापति महोदय, नालंदा जिला में पिछले दो वर्षों से वर्षा कम हुई है। अभी की स्थिति यह है कि करीब 20 हजार मजदूर लोग नालंदा से पलायन कर गये हैं, वहाँ पीने का पानी की गंभीर समस्या है। सभापति महादेय, आज स्थिति यह है कि एक भी बिचड़ा नहीं लगा है, जो थोड़ा बहुत लगा था, वह सब सूख गया है, आज वहाँ पर भीषण पानी का संकट है। इसलिए सभापति महोदय, मैं.....

श्री राजो सिंह : सभापति महादेय, नालंदा में तो काफी बढ़िया मकई की खेती है।

सभापति : मान्नीय सदस्य राजो बाबू नालंदा जिला से होकर ही अपने घर जाते हैं, इसलिए इनको ज्यादा अनुभव है।

श्री देवनाथ प्रसाद : सभापति महोदय, लगता है कि मान्नीय सदस्य श्री राजो बाबू सड़क के बगल में ही देखें हैं, रोड के किनारे को देखे हैं, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। सभापति महोदय, देहातों की स्थिति भीषण अकाल की स्थिति हो गयी है। पहले किसानों को बोरिंग गलाने के लिये 240 फीट पाइप मिलता था उसको सरकार ने घटाकर 120 फीट कर दिया। उसके बाद सभापति महोदय, क्या हुआ कि नालंदा जिला के किसानों को बोरिंग गलाने के लिये जो पाइप दिया गया वह सिर्फ 60 फीट पाइप दिया गया। ताज्जुब की बात है सभापति महादेय, कि अभी तो स्थिति है वह बहुत ही विचित्र स्थिति हो गयी है नालंदा जिले में। नालंदा जिला में पीने का पानी नहीं है और खेतों के लिये पानी की काफी जरुरत है क्योंकि जबतक खेतों में पानी नहीं जायेगा, फसल नहीं होगी ऊपर से सुखाड़ की स्थिति है। पाइप की दिक्कत से किसान बोरिंग धंसाने का काम करते हैं 150 फीट से पौने दो सौ फीट बोरिंग करने पर पानी निकलेगा।

सभापति : अब आप संक्षिप्त करें।

श्री देवनाथ प्रसाद : सभापति महोदय, नालंदा जिला के जो कलक्टर हैं, डी॰ डी॰ सी॰ हैं दोनों का दिमाग खराब हो गया है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि उन दोनों को वहां से वापस कर ले। महोदय, मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूँ कि नालंदा के जिलाधिकारी ने एक आदेश दिया कि जो किसान पाइप ले लिया है और पाइप नहीं गाड़ा है सब पर मुकदमा किया जाय, एफ॰ आई॰ आर॰ किया जाय। सभापति महोदय, यह आदेश नालंदा के जिलाधिकारी और डी॰ डी॰ सी॰ ने दिया है। डी॰ डी॰ ओ॰ ने जाकर यह आदेश किसानों को बताया। वहां के किसानों ने अनुरोध किया कि हमको पाइप दीजिये हम बोरिंग करा देगें। बी॰ डी॰ ओ॰ से भी यह बात किसानों ने कही। बी॰ डी॰ ओ॰ ने मीटिंग में किसानों की बात को रखा और कहा कि किसान कहते हैं कि बोरिंग का अभाव है, पाइप का अभाव है, पानी उतना से नहीं मिल सकता है। इसके एवज में सभापति महोदय, डी॰ डी॰ सी॰ और डी॰ एम॰ ने पिछले तीन महीनों से बी॰ डी॰ ओ॰ का वेतन बंद कर दिया है। और उन पर जोर दिया जा रहा है कि किसानों पर मुकदमा करो, एफ॰ आई॰ आर॰ करो। महोदय, ऐसे पदाधिकारी रहेंगे तो अकाल की जो भीषण स्थिति है उसकी स्थिति और बदतर हो जायगी। सुखाड़ की स्थिति है, पानी नहीं मिल रहा है और वे कह रहे हैं कि किसानों पर मुकदमा करो, एफ॰ आई॰ आर॰ करो।

सभापति : देवनाथ बाबू आप बैठ जायं समय सीमा है, उसका ख्याल करें।

श्री देवनाथ प्रसाद : सभापति महोदय, नालंदा जिले में 221 राजकीय नलकूप हैं जिसमें 121 खराब है। खराब नलकूपों को चालू कराया जाय। विन्ध्याचल से गंगा में बांध बांधकर नहरें बनाकर मध्य बिहार की सिंचाई की जा सकती है। सभापति महोदय, मैं अंत में कहना चाहूँगा कि नालंदा को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाय। और दस करोड़ रु० देकर रिलीफ का काम चलाया

श्री खगेन्द्र प्रसाद : सभापति महोदय, हमारे दल के दो सदस्यों का नाम है। इसलिये 15 मिनट का समय हमको दिया जाय।

सभापति : पांच मिनट का समय देगें। जितनी लंबी सूची बोलने वालों की मेरे पास है उसमें पांच मिनट से अधिक समय नहीं दे सकेंगे। मेरे साथ मजबूरी है।

श्री खगेन्द्र प्रसाद : सभापति महोदय, आज भभुआ, बक्सर से लेकर हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, पलामू, गढ़वा और सारण से लेकर जमुई तक का पूरा इलाका, पूरा प्रदेश आज अकाल की चपेट में है। महोदय, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आयी है पहले उन क्षेत्रों में भी सुखाड़ की स्थिति थी, अकाल की स्थिति थी। सभपति महोदय, सबसे दुखद बात है कि यह सरकार इतने गंभीर प्राकृतिक विपदा के प्रति संवेदनशील नहीं है। अगर संवेदनशील होती है तो सिंचाई मंत्री, लघु सिंचाई मंत्री, बिजली मंत्री सदन में बैठे रहते, सदन से गायब नहीं रहते। इससे पता चलता है कि सरकार को बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रति तनिक भी चिंता नहीं है। यह सबसे दुखद बात है। सच पूछा जाय तो गत साल सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा कि छोटानागपुर किस तरह अकाल के चपेट में था और लोग अकाल की चपेट में तड़प-तड़प कर मरे। जानवर मरे। सरकार ने घोषणा भी की और डॉक्टर से प्रमाणपत्र भी दिलवाया कि भूख से लोग नहीं मरे हैं, बीमारी से मरे हैं। आदमी मर गये, जानवर मर गये। अगर थोड़ी भी शर्म होती सरकार को तो समस्याओं के समाधान के लिये काम करती । सरकार यह दावा करती है कि अकाल से कोई मरा नहीं। आज छोटे बडे नगरों की स्थिति क्या है। नदियों की स्थिति क्या है, नलकूपों की स्थिति क्या है, बारिश हुयी नहीं। ऐवरेज पौने 3 एम० एल० वर्षा हुई थी। जून में 115 मि० मि० वर्षा हुई है। वर्षा नहीं होने के कारण पानी का स्तर बहुत नीचे

चला गया है। कुएं का, पाइप का सबों का जल-स्तर नीचे चला गया है। पानी के लिये हाहाकार मचा हुआ है। पानी की हर जगह दिक्कत है। आज बसों से, ट्रेनों से नौजवान लड़के भाग रहे हैं। अपने घरों को छोड़ रहे हैं। किसी भी नहर में पानी नहीं है। एरीगेशन और सिंचाई विभाग द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। किसानों को अपने खेतों में पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिलने के कारण अपने जलते हुए खेतों को छोड़ कर भाग रहे हैं। आज सरकार का कोई भी काम योजनाबद्ध नहीं है। सरकार के सारे कार्यक्रम बन्द हो गये हैं। तमाम रीलिफ का काम बन्द हो गया है। सरकार कोई काम तो करती नहीं है और झूठ बोलती है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी नियत में खराबी है। सभापति महोदय, बिहार के सभी जिलों में लिफ्ट एरिगेशन योजना के अन्तर्गत ट्रान्सफारमर नहीं बदले गये। जब अधिकारियों से पता किया गया तो मालूम हुआ कि ट्रान्सफारमर बन्ने का सरकारी आदेश नहीं हैं 16 जिलों में जो योजनायें चल रही हैं शुरु से ही ट्रान्सफारमर नहीं है। आज सरकार ने हाऊस में कहा कि राहत बन्द नहीं हुआ है। लेकिन यह जानती है कि 30 जून को सारे कार्य बन्द हो गये थे। सारे कार्यक्रम बन्द हैं, सरकार झूट कह रही है। और हम और आप झूठ सुन्ने को बाध्य हो रहे हैं। यह जो स्थिति आयी है उसका मुकाबला करेंगे।

सभापति : श्री खगेन्द्र प्रसाद, आप अपना सुझाव दीजिये।

श्री खगेन्द्र प्रसाद : महोदय, 1972 में भालको का गठन हुआ था कि पहाड़ी जिलों में लिफ्ट एरिगेशन के द्वारा उदव्यय सिंचाई के द्वारा और सिंचाई क्षमता को सृजित किया जायेगा। मगर विडम्बना की बात है कि उक्त राशि के पीरियड में भी भालको का लिफ्ट स्कीम का ट्रान्सफार्मर नहीं बदला गया था। एक डेढ़ कि० मी० तार कटा हुआ है। इसको जोड़ा नहीं गया जब हमलोगों ने अधिकारियों से बात तो हम से कहा गया है कि सरकार की ओर से भालकों द्वारा संचालित लिफ्ट एरिगेशन योजना का ट्रान्सफार्मर बदलने का आदेश नहीं है। महोदय, यह जो 16 जिलों में योजना चल रही है बहुत ही अच्छी है जो कार्यरत है। शुरु से ही इस पर ट्रान्सफार्मर नहीं है। जब यह छिट्ठी निकली है लघु सिंचाई विभाग से इसमें लिफ्ट एरिगेशन शब्द था। विद्युत विभाग की व्यवस्था है कि माइनर एरिगेशन के तहत जो लिफ्ट एरिगेशन है उसमें बिजली की गड़बड़ी ठीक की जायेगी। गड़बड़ी होती गयी और सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और एक भी योजना को कार्यरत नहीं

कराया। हमारी मांग है कि भालको के नाम पर जो लगाया गया है उसको हटाया जाय और जितना लिफ्ट स्कीम है उसको चालू कराया जाय।

सभापति : आपका भाषण खत्म हुआ। श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : उत्तर बिहार में बाढ़ ही बाढ़ है। मध्य बिहार में फसल मारी जा रही है। तीन सालों से लगातार फसल मारी जा रही है। बारिश का कहीं नामो-निशान नहीं है। सभापति महोदय, बारिश का नहीं नामो-निशान नहीं है। किसानों की जो खड़ी फसल मारी गयी है। लगातार तीन सालों से, किसानों में बड़ा हाहाकार है।

सभापति : अम्बिका बाबू मुझे याद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब मान्नीय सदस्यों जिनका नाम सूची में है बोल लें। श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : किसानों की खड़ी फसल मर चुकी है लगातार 3 सालों से। इसीलिये किसानों में पहले से ही बड़ा हाहाकार है। महोदय, मान्नीय मंत्रीजी बैठे हैं और हमारे मध्य बिहार के हैं। मैं इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा मध्य बिहार की ओर कि बाढ़ पर ही केवल ध्यान न देकर सुखाड़ पर भी ध्यान आकृष्ट करें।

(व्यवधान)

सभापति : मान्नीय सदस्य, आप अपना सुझाव दीजिये।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : हर तरह की व्यवस्था की जाय। गरीबों के बीच लाल कार्ड का वितरण किया जाय। जो इसकी बहुत आवश्यकता है। जलधारा के तहत व्यापक पैमाने पर व्यवस्था किया गया था और अब पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। कुंए और चापाकल सूख गये हैं। चापाकल एक भी रिंग मशीन से उपलब्ध नहीं कराया गया है। रिलिफ मिन्स्टिर को सुखाड़ के तहत राहत की भी व्यवस्था करनी चाहिये। किसानों की जो अधिकतर फसल मर चुकी है इसलिये उनको ऋण उपलब्ध कराया जाय। पशु चारा के लिये कफी परेशानी किसानों को हो रही है। हमलोग अनुरोध करेंगे कि वहां पशु के लिये चारा की व्यवस्था की जानी चाहिये। महोदय, ये सारी चीजें देखते हुये कहना चाहूँगा कि आज जो मध्य बिहार की हालत है अगर सरकार द्वारा, मध्य बिहार के मंत्री, राम विलास बाबू बैठे हैं। किसानों

की जो दयनीय स्थिति है काफी सुधार हो जायेगा और वहां के लोग भूखों मरने से बच जायेंगे।

सभापति : मा० सदस्य, श्री राम लखन सिंह। आप भी अपना सुझाव ही दें, लम्बा भाषण नहीं दें।

श्री राम लखन सिंह : सभापति महोदय, आज सारा बिहार अकाल की चपेट में पड़ा है, चाहे उत्तर, दक्षिण, मध्य बिहार या छोटानागपुर संथाल परगना का इलाका हो, सारा बिहार अकाल की चपेट में है, सारा बिहार आज जल रहा है, बरबाद हो रहा है, जो भी बिचड़े डाले गये हैं, वे जल गयें हैं। धान के पौधे जल गये हैं, भदई नहीं लगाया जा सका है। जलधारा योजना के तहत कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। सोन नहर है, कोशी है, उसकी नहरों से सिंचाई का इंतजाम किया जा सकता था। सिंचाई का इंतजाम करके अकाल से मुक्ति दिलायी जा सकती थी। आप जानते हैं कि इस देश के अन्दर पंजाब में, हरियाणा में, केरल में और कई प्रदेशों में सिंचाई का इंतजाम हुआ है। वहाँ आसमान की ओर नहीं देखना पड़ता है। आज बिहार के किसान आसमान की ओर देख रहे हैं। इसके कारण किसानों की फसल जल जाती है। आज बिहार के सारे किसान निराशा के सागर में गोते लगा रहे हैं। समूचा बिहार बरबादी के रास्ते पर चल रहा है। पिछले साल भी आया, इस साल भी आया, आप देखें गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, मध्य बिहार के दूसरे इलाकों में, हर इलाके में सूखा है। इस बार भी पिछले साल से अधिक सूखा पड़ा है। सूखा से निदान पाने के लिये सिंचाई का इंतजाम जरुरी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गय है। जहाँ अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ राहत का कार्य नहीं किया गया, लाल कार्ड नहीं दिया गया, रिलीफ नहीं दिया गया। ऐसी बात रहेगी तो बिहार कहाँ जायेगा, कैसे बचेगा, जानवर, आदमी मारे जायेंगे, जंगली जानवर तक मर जायेंगे। पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। कुआं, चापाकल का पानी सूख गया है। जरुरी इस बात की है कि सिंचाई का इंतजाम किया जाय। बिहार को बचाया जाय।

महोदय, अभी तक यह कहा जा रहा है कि-

"आदर आवत न दियो, जावत दिया न हस्त,
इससे तो दोनों गये, पहुन और गृहस्थ।"

महोदय, आज अदरा नक्षत्र चला गया, तालाब नहीं भरा, बिहार कैसे बचेगा, जरुरत इस बात की है कि सरकार इस पर ध्यान दे, सिंचाई का इंतजाम करावें, सिंचाई का इंतजाम की व्यवस्था अगर नहीं हुई तो आदमी, जानवर दोनों हाहाकार में फँसे रहेंगे। इसीलिये जरुरत है आज बिहार को बचाने की।

सभापति : मा॰ सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री गिरिनाथ सिंह।

श्री गिरिनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं अपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा। सरकार से कि हमारे पलामू प्रमंडल में भयंकर सूखा है।

श्री गिरिनाथ सिंह : सभापति महोदय, पलामू प्रमंडल पिछले साल भी अकाल के चपेट में रहा और इस साल भी भीषण अकाल के चपेट में है। मै आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बार तो मौनसून के पहले बारिश हुई, धान रोपा गया लेकिन अब पानी बन्द हो गया, इसलिये आग्रह करूंगा कि लाल कार्ड की व्यवस्था की समय सीमा जो 31 अगस्त तक रखा गया है, उसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया जाय। दूसरी बात चापाकल हमारे इलाके में अप्रैल, मई में गाड़ा गया। अब चपाकल लगाने का काम बन्द कर दिया गया है। मेरा आग्रह है कि इसको फिर से चालू किया जाय तभी वहां पेयजल की सुविधा होगी। हमारे पलामू प्रमंडल में तीन प्रमुख नदियाँ है-कनहर, केलहे अैर ओरगा, इसको बांध दिया जाय तो हमारे यहां सूखे की संभावना बहुत कम रहेगी। आज जो सहाय्य कार्य चल रहा है, उसको जारी रखा जाय, बन्द नहीं किया जाय, चूंकि हमारे यहां वर्षा बहुत कम हुई है। यही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री रामजतन सिन्हा : सभापति महोदय, हम जिस इलाके से आते हैं, यों तो पूरा बिहार ही 95 प्रतिशत अकाल के चपेट में है, लेकिन हम जिस इलाके से आते हैं-जहानाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद, पलामू, चतरा, जमुई, मंगेर, यह सब इलका सुखाड़ के चपेट में है। लेकिन जिस इलाके से हम आते हैं- मुखदुमपुर का इलाका, वहां की स्थिति काफी भयावह है। इंसका अनुमान इसी बात से की जा सकती है कि स्वयं सरकार ने इस एरिया को एक श्रेणी का सूखाग्रस्त इलाका घोषित किया है। 1967 में भी सरकार ने अकाल क्षेत्र घोषित किया था, उसको आज सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। एक ओर सरकार कहती है कि पूरे राज्य में अकाल नहीं है और दूसरी ओर सरकार कहती है कि केन्द्र से पर्याप्त

सहायता नहीं मिलती है। 1967 की अकाल की बात ले लीजिये, उस समय इतनी भयावह स्थिति नहीं थी, जो आज है। 1967 में रोपनी का काम हो गया था, हथिया में बारिश नहीं होने के कारण चापकल, नदी-नाला, कुंआ सूख गया था, इसलिये अकाल क्षेत्र घोषित किया गया था। पिछले वर्ष मई, जून के बाद तो वर्षा ही नहीं हुई और जितने भी कुंऐ, चपाकल हैं, सभी सूख रहे हैं। हमारे इलाके में राहत मंत्री श्री रामविलास बाबू गये हुये थे, पहाड़ी इलाके में 15 पंचायत-भराऊ पंचायत, कोहरा पंचायत, डकरा पंचायत, धरावट पंचायत, विशुनपुर पंचायत 10-12 पंचायत ऐसे हैं, वहां पेयजल नहीं मिल रहा है, वहां का चापाकल काम नहीं करता है, रिंग मशीन काम नहीं करता है, आपको मालूम होना चाहिये कि लोग पानी के बिना वहां के लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं, उनको दूर-दूर से पीने के लिये पानी लाना पड़ता है। ऐसे मसले पर सरकार कितना सावधान है, आज सदन में चर्चा हो रही है। लोक महत्व के विषय पर नियम-43 के तहत, विपक्ष के नेता और सरकार के सहमति से वाद-विवाद चल रहा है लेकिन आप देखेंगे कि अविलम्ब लोक महत्व के विषय पर चर्चा नियम-105 के तहत होनी चाहिये लेकिन नियम-43 के तहत हो रहा है, हमने लिखकर दिया था कि 105 के तहत वाद-विवाद लायी जाय लेकिन हमारा नाम हटा दिया गया। आज सरकार कितनी सिरियस है, अभी अकाल की स्थिति है, उससे मुकाबला लघु सिंचाई बिजली, सिंचाई के माध्यम से ही की जा सकती है, लेकिन सरकार कितनी सजग है- अभी सदन में न तो सिंचाई मंत्री हैं, न लघु सिंचाई मंत्री हैं, सदन में सिर्फ रिलीफ मंत्री हैं। हमारे इलाके में ट्रांसफर्मर जले हुये हैं, बिजली का तार कटा हुआ है, बिजली के खंभे टूटे हुये हैं, सरकार उसकी मरम्मत करावे। आज पूरा मगध प्रमंडल में चापाकल खराब है लेकिन मुखदुमपुर का जो इलाका है, वहां ट्यूबेल खराब है, सारक ट्यूबेल खराब पड़े हुये हैं, इसलिये वहां पर ट्यूबेल की मरम्मती करायी जाय। जहानाबाद, मुखदुमपुर, और कुर्था का जो इलाका है, जहां से राज्य मंत्री मुन्द्रिका यादव आते हैं, ये सब इलाका 'ए' श्रेणी में रखा गया है। मैं राहत मंत्री श्री राम विलास बाबू से मांग करता हूँ कि अरवल, करपी, जहानाबाद, घोसी और काको के 'ए' श्रेणी में रखा जाय। जहां-जहां ट्रांसफर्मर नहीं है, वहां ट्रांसफर्मर अविलम्ब दिया जाय और उन पांचों ब्लॉक को 50-50 लाख रुपया की राशि रिलीफ के लिये दिया जाय और सस्ती रोटी की दुकान खोली जाय और उस इलाके को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाय ताकि दूसरी एजेंसी भी वहां राहत का कार्य कर सके।

श्री सुमृत मंडल : सभापति महोदय, मैं सरकर का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पूरा बिहार सुखाड़ से ग्रस्त है। उत्तर बिहर में बाढ़ है और दक्षिण बिहार में सुखाड़ है। जिस तरह की स्थिति है, अगर सरकार समय रहते सजग नहीं हुई तो आने वाला समय बड़ा ही भयंकर होगा। हमलोगों जहां से आते हैं, 80 प्रतिशत किसानों का वोट जीतकर आते है। और जब हम सारे विधायक लोग एयरकंडीशन में बैठते हैं तो किसानों की बात भूल जाते हैं, किसानों की बात को नजरअंदाज करते हैं। सारे लोग किसानों पर ही निर्भर करते हैं, यदि किसानों को अनाज नहीं होगा तो सारे लोगों की हालत क्या होगी? जिस तरह से रसा की हालत हुई है, वैसी ही अवस्था हमलोगों की होगी। अभी भी समय है, सरकार ध्यान दे तो काफी लोगों को मदद मिल सकती हैं। हमारे यहां संथालपरगना में जो नहर है, जो डैम है, जहां पानी का लेयर बहुत कम हो गया है, उसकी सफाई करायी जाय ताकि वहां पानी मिल सके।

श्री कृष्णान्नद झा : सभापति महादेय, यों तो पूरे बिहार में कहीं बाढ़ से तो कहीं सुखाड़ से भयंकर स्थिति बन गई है लेकिन हम जिस इलाके से आते हैं, खासकर छोटानागपुर संस्थालपरगना, भागलपुर, मुंगेर और बांका का इलाका सुखाड़ से काफी प्रभावति हुआ है। हमारे यहां जो सबसे बड़ी समस्या है, वह पीने का पानी का है। पिछले दो सालों में खासकर इस साल जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि गर्मी के प्रारम्भ से ही लगभग 60-65 प्रतिशत कुंआ सूख चुका है और जो चापाकल गाड़ा गया है, उसमें 60-70 प्रतिशत चापाकल बेकार पड़े हुये हैं, उसमें कुछ यांत्रिक खराबी के कारण बेकार पड़े हुये हैं और कुछ तो जलस्तर नीचे चले जाने से काम नहीं रहा है। इसलिये हमारे इलाके में जो सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, हमारे यहां कोई बड़ी स्कीम नहीं हैं सिंचाई की, हमारे यहां जो जलधारा स्कीम में कुंआ बना है और जो वहां पर लिफ्ट इरीगेशन की स्कीम है, जो बिजली के अभाव में बन्द है। सरकार बिजली नहीं दे पा रही है, हमारे यहां ट्रांसफर्मर खराब है, बिजली के तार कटे हुये हैं, इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में जहां सुखाड़ है और जहां ट्रांसफर्मर खराब है, वहां ट्रांसफर्मर नहीं बदला जा रहा है, यह कहकर कि जिनके यहां ड्यूज है, जब तक 75 प्रतिशत ड्यूज क्लीयर नहीं किया जायेगा तब तक ट्रांससफर्मर नहीं बदला जायेगा, इस नियम को अभी आपको शिथिल करना पड़ेगा, किसानों को राहत देना

होगा ओर बिजली की व्यवस्था करनी होगी। जहां बिजली के तार हैं, वहां बिजली नहीं मिल रही है, यदि आप वहां बिजली की व्यवस्था कर देते हैं तो किसानों का फसल बच जायेगा। दूसरी बात है- जितनी स्कीम चल रहे हैं, वे सारी की सारी योजनायें बन्द हैं। हमारे यहां के मजदूर बेकार होकर दूसरे प्रान्त में जा रहे हैं। यदि आप कोई नई योजना नहीं चलाना चाहते हैं तो रिलीफ का काम कराईये, इससे मजदूरों को रोजी-रोजगार मिलेगा। लेकिन पिछले दिनों पलामू में जो भयंकर अकाल पड़ा और उसमें सरकार की जो शिथिलता रही है, उससे यह आशंका बनती है कि आनेवाले दिनों में भयंकर अकाल पड़ेगा और कैसे सरकार उसको संभावना पायेगी, यह आनेवाला दिन ही बतायेगा।

सभापति : मान्नीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ कि इतना कम समय मिल रहा है उसमें वे बिन्दुवार अपनी बात कह रहे हैं।

श्री रामधनी सिंह : मान्नीय महोदय, बिहार के कई जिले सुखाड़ के चपेट में हैं लेकिन रोहतास जिला में सुखाड़ के कारंण काफी स्थिति खराब हो गयी है। रोहतास जिला के कोचस, दिनारा, चेनारी, करगहर आदि तमाम प्रखंडो में जो इलाका अधिक धान पैदा करने का काम करता था, सामान्य दिनों में तथा मुसीबत के दिनों में, बिहार के दूसरे जिलों को सहयोग देने का काम करता था और आज वह इलाका पूरा सुखाड़ की चपेट में आ गया है। सभापति महोदय, यह इलाका नहर से पटनेवाला इलाका है और मैं कुछ नहरों की चर्चा कर देना चाहता हूँ। एक है सॉख शहर उससे दिनारा का इलाका पड़ता है। नहर की मरम्मति नहीं होने के कारण जगह-जगह नहरें टूट गयीं हैं जिस के कारण नहर से पानी नहीं निकल रहा है। दूसरा नहर है सरना नहर, इसमें भी दिनारा का इलाका पड़ता है, इसमें निश्चित स्थान तक पानी नहीं पहुँच पाता है, तीसरा है मानस नहर, नयाभानपुर नहर, इसमें भी मरम्मति की आवश्यकता है। मरम्मती के अभाव में पानी नहीं पहुँच पाता है। कोचस-रजवाहा इन्दौर-रजवाहा करगहर नहर, रसलपुर नहर, बामथरी नहर, सलकुआ नहर, कथराई नहर, लोकनाथपुर नहर, रघुनाथपुर नहर, एवं खुरमावाद नहर, ये सभी नहर जगह-जगह पर टूटे हुए हैं, उपकी मरम्मति नहीं हो पा रही है जिसके चलते पानी निश्चित स्थान तक नहीं पहुंच पा रहा है। इन नहरों से भभुआ जिला का कुदरा प्रखंड तथा रोहतास का करगहा दिनारा कोयस चेनारी, चोसा आदि प्रखंडों का पटवन होता है, यह सम्पूर्ण इलाके सुखाड़ से प्रभावित हैं। सभापति महोदय, कोचस

ब्लौक में पटवन का मुख्य साधन बिजली है लेकिन उसमें सौ ट्रांसफर्मर जले हुए हैं, बिजली मंत्री बैठे हुए हैं, मैं इनका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि इन ट्रांसफर्मरों को शीघ्र बदला जाय ताकि सूखाड़ का सामना किया जा सके। सभापति महोदय, मैंने जिन नहरों का नाम गिनाया है, इन नहरों को अविलम्ब मरम्मत करके चालू कराया जाय ताकि पटवन हो सके। यदि पन्द्रह दिनों के अन्दर इन खेतों में पटवन नहीं होगा तो उक्त सम्पूर्ण इलाके की स्थिति भयावह हो जायेगी तथा रोहतास में अकाल व्याप्त हो जायेगा।

साभपति : आपका समय समाप्त हो गया । मान्नीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह, आप बोलें।

श्री नरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, पूरा सदन जानता है और सम्पूर्ण राज्य इस बात से अवगत है कि पिछले वर्ष अनावृष्टि के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई और इस वर्ष भी अनावृष्टि हुआ। उत्तर बिहार में जो बाढ़ आयी है वह वर्षा की वजह से नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों के बाँध टूट जाने के कारण बाढ़ आयी है लेकिन मुख्यतः जो इलाके हैं जहाँ भयंकर सुखाड़ का इलाका है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जिन प्रखंडों में बिहार सरकार ने घोषणा किया कि यह सुखाड़ पीड़ित है उसको तीन केटेगरी में रखा गया। "ए" केटेगरी, "बी" केटगरी, "सी" केटेगरी। और यह घोषणा कि "ए" कटेगरी को 25 लाख, "बी" कटेगरी को 15 लाख और "सी" कटेगरी को 10 लाख नहीं दिया गया है। सिर्फ 10 लाख रुपया "ए" कटेगरी को दिया गया है जिसको मिलना चाहिए था 15 लाख रुपया। सभापति महोदय, मान्नीय मंत्रीजी ने सेशन शुरु होने से पहले राहत मंत्री ने बयान दिया कि अब वर्षा होने वाली है, इसलिए राहत कार्य बन्द कर दिया जाय। बाद में इन्होनें कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा है और न किसी तरह का आदेश ही निर्गत हुआ है लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके पदाधिकारियों ने, जिला पदाधिकारियों ने कहा कि बिहार सरकार को आदेश आया है, इसलिये राहत कार्य नहीं चल रहा है। आज सम्पूर्ण बिहार में यही स्थिति है। जमुइ जिला के सात प्रखंड भयंकर सुखाड़ के चपेट में है। जमुई, चकाई, सिकन्दरा, सोनो, खैरा, लखीसराय जो सुखाड़ उन्मुख डी॰ पी॰ ए॰ पी॰ योजना के अंतर्गत 1974 से घोषित है। राज्य में जितने प्रखंड डी॰ पी॰ ए॰ पी॰ लागू हैं वहां सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रों में अगर यह योजना चलायी जाती है तो लोगों

को काफी राहत मिलती। इन्द्र भगवान ने पानी नहीं दिया फिर भी इस योजना से सुखाड़ का मुकाबला हम कर सकते थे। पूरे जमुई जिला में एक सौ लोग मरे हैं और खासकर हमारे क्षेत्र में तीस लोग सुखाड़ से पशुओं की जान चली गयी है। सभापति महादेय, दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे इलाके में एक भी ट्रांसफर्मर नहीं बदले गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चहता हूँ कि जितने भी सुखाड़ पीड़ित क्षेत्र हैं सभी के ट्रांसफर्मर बदले जायें। सभापति महोदय, हमारे जिला में दो-तीन बड़ी सिंचाई योजना है जो अधूरी पड़ी हुई है एक है बरनाला सिंचाई योजना है अपर किउल सिंचाई योजना और तीसरी कुकुर झप सिंचाई योजना है जिसमें तीन वर्षों से एक भी पैसा नहीं दिया गया है। इन अधूरी योजनओं को पूरा किया जाय ताकि सिंचाई का काम उससे हो सके। लघु सिंचाई विभाग का जो लघु सिंचाई स्कीम हमारे क्षेत्र में है विगत चार-पाँच वर्षों से बेकार पड़े हुए हैं। उन स्कीमों की मरम्मति नहीं होने के कारण पटवन नहीं हो रहा है। इनकी मरम्मति करायी जाय।

सभापति : आप बैठ जायें। आपका समय हो गया। मान्नीय सदस्य श्री रामदेव वर्मा जी, आप अपनी बात शुरु करें।

श्री रामदेव वर्मा : सभापति महोदय, ...

सभापति : आप एक मिनट के लिए बैठ जायें। सभा सचिव को एक संदेश पढ़ना है।

सभा सचिव : महोदय, राज्यपाल सचिवालय से निम्न संदेश प्राप्त हुए हैं कि दिनांक 16 जुलाई, 1993 को बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित "बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1993 पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिनांक 28 जुलाई, 1993 को अपनी अनुमति प्रदान कर दी है।

श्री रामदेव वर्मा : सभापति महोदय, सुखाड़ को स्थिति पर आज सदन में गंभीर रुप से विचार चल रहा है। मुझे आपने समय सीमा के अन्दर बोलने के लिए कहा है। मुझे सिर्फ दो बिन्दुओं पर बोलना है। एक बिन्दु यह है कि 1990 से लगातार बिहार में अनावृष्टि धीरे-धीरे बढ़ते हुए सुखाड़ का स्थायी रुप पकड़ता जा रहा है। सभापति महोदय, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि बिहार में

मौसम की दिशा में परिर्वतन हो रहा है। बिहार में मौसम की दिशा में परिवर्तन का क्या कारण है इसके संबंध में सरकार को वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाना चाहिए, केन्द्रीय सरकार के वैज्ञानिकों से पता लगााना चाहिए कि मौसम की दिशा में परिवर्तन का क्या कारण है। पंज़ाब, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश में अतिवृष्टि से बाढ़ आ गयी है और बिहार में अनावृष्टि बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है और इसका निदान क्या है, इसके लिए वैज्ञानिकों की सलाह लेनी चाहिए। इसका निदान क्या है इसके लिए गम्भीरता से सरकार को अपने वैज्ञानिकों से सलाह लेनी चाहिए। दूसरी बात, सभापति महोदय, बिहार में सुखाड़ के परिणाम-स्वरुप भूगर्भीय जल स्त्रोत पर ही खतरा उपस्थित हो गया है, जिसके कारण बिहार में जो पेयजल के साधन चापाकल है उसका लेयर 30 फीट-35 फीट नीचे चला गया है और वह फेल कर गया है। इस परिस्थिति में सभापति महोदय, मेरी एक सलाह है कि गम्भीरता से देख जाय कि भूगर्भीय जल-स्त्रोत का संरक्षण हम कैसे कर सकतें हैं, इसकी ओर सरकार को सोचना चाहिए। तीसरी बात, सभापति महोदय, रिलीफकोड बिहार में 1954 का है इसलिए वर्त्तमान बाजार मूल्य सूचकांक के आधार पर रिलीफ कोड संशोधित किया जाय। आज बाढ़ से मरने पर 5 हजार रुपया दिया जाता है जबकि वर्त्तमान बाजार मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जायेगा तो लाख रुपया हो जायेगा। अन्त में मैं एक बात अपने इलाके की कहना चाहता हूँ। हमारे इलाके में बूढ़ी गन्डक हैं। सिंचाई राज्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं, हमारा कहना है कि बूढ़ी गण्डक में पानी का रफ्तार तेज है लेकिन दूसरी ओर बूढ़ी गण्डक के दोनों तरफ सुखाड़ की स्थिति है। इसलिए वह बरसाती नदी बेगूसराय और समस्तीपुर में....

सभापति : अब आप बैठ जायं।

श्री बच्चा चौवे : सभापति महोदय,......

सभापति : चौबे जी, आपके यहां तो बाढ़ है।

श्री बच्चा चौबे : भयंकर सुखाड़ है। सभापति जी, यों ते बिहार का 95 प्रतिशत भाग सुखाड़ से पीड़ित है लेकिन हम जिस जिला गोपलगंज से आते हैं वह गण्डक नहर कमाण्ड एरिया में पड़ता है। गण्डक नहर की जो सिंचाई क्षमता है उसकी एक-चौथाई भी सिंचाई नहीं हो पाती है। सिल्टेशन के चलते सारा नहर भर गया है इसलिए पानी का बहाव पूरा नहीं होता है। सारे जलवाहक सूखे हुए हैं।

छोटे-छोटे इनलेट लगे हुए हैं दसमें जो रेगुलेटर जो लगाना चाहिए था वह नहीं लगा हुआ है इसलिए प्रचुर मात्रा में सिंचाई का काम नहीं होता है। जितनी उद्भव सिंचाई योजना थी, सारी-की-सारी बन्द पड़ी हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करुंगा कि गंडक नहर का गहरीकरण और चौड़ीकरण कराया जाय। जो उद्वह सिंचाई योजना विद्युत उपलब्ध कराकर चालू कराया जाय। जो स्टेट ट्यूबेल बन्द हैं उनको चालू कराया जाय।

श्री प्रेम कुमार : सभापति महोदय, विगत तीन वर्षों से सम्पूर्ण बिहार में अनावृष्टि के कारण अकाल की स्थिति बनी हुई है और यह सरकार की लापरवाही के चलते है एवं प्रशासन की लाल-फीताशाही के चलते पूरे बिहार में आज हजारों लोग मर चुके है, हजारों पशु मर चुके हैं, चारो ओर पानी का हाहाकार है लेकिन सरकार इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है। पूरे मगध प्रमंडल में पुनर्वसु नक्षत्र की समाप्ति के बाद किसानों की रही-सही आशा भी गायब हो गई और समस्त मगध प्रमण्डल में अकाल का भयावह दृश्य उपस्थित हो गया है। मात्र पौने दो प्रतिशत खरीफ फसल का आच्छादन हो सका है। समस्त प्रमण्डल में 5 लाख 6 सौ हेक्टेयर में मात्र 8 हजार 9 सौ 18 हेक्टयर में ही बिचड़े डाले जा सके और वह भी वर्षा के अभाव में सूखते नजर आने-जाने लगे हैं। गया जिला में 1 लाख 73 हजार में से साढ़े तीन हजार हेक्टेयर अर्थात 2 प्रतिशत, जहानाबाद में 92 हजार 600 में 4,130 अर्थात साढ़े चार प्रतिशत और औरंगाबाद जिले में 1,40.000 में से 1, 288 हेक्टेयर अर्थाम् कुल 9 प्रतिशत खेतों में बिचड़े डाले जा सके। नवादा जिला के 95, 000 हेक्टेयर में नाम मात्र का भी बिचड़ा नहीं डाला गया है। अब तो बीज डालने का समय समाप्त हो गया। गत वर्ष ओलावृष्टि से क्षति हुई। इस प्रकार इस प्रमंडल के लिए अन्न उत्पादन के मामले में लगातार तीन वर्षो से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और संकट से जूझते किसानें के सामने मौत का साया मंडराने लगा है। लोागें के बीच भय एवं चिन्ता व्याप्त हैं। खासकर गया जिला के मोहनपुर आदि जिलों में।

श्री रणवीर यादव : आदरणीय सभापति महोदय, यों ते हम सभी जानते हैं कि बिहार पूर्ण रूप से सुखाड़ से प्रभावित है। सभापति महोदय, मैं खगड़िया जिला से आता हूँ। वहां पर एक अलग ही तरह के सुखाड़ का प्रभाव है। फरकिया क्षेत्र के लोग बाढ़ से जलमग्न हो गये हैं और बाकी लोग सुखाड़ से, वैसे तो दैवी

प्रकोप से बच नहीं सकते हैं लेकिन उसके लिए कोईं वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति : आपके यहां तो बाढ़ है।

श्री रणवीर यादव : हमारे यहां बाढ़ भी है और सुखाड़ भी है। हमारे यहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दोनों प्रकोप है। लेकिन हम सुखाड़ का मुकबला कर सकते हैं यदि वहां के किसानों को बिजली और पानी की व्यवस्था हो। महादेय, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि खगड़िया जिला में प्राईवेट पम्प तथा स्टेट नलकूप जहां बिजली के अभाव में बन्द पड़े हुए हैं उसको चालू करवाया जाय। क्षतिग्रस्त नालों की अबिलम्ब मरम्मति कराई जाय। ट्रांसफर्मर की वहां कमी है। 40 ट्रांसफर्मर जो वहां जले हैं उनको अबिलम्ब बदला जाय। महोदय, पशु-आहार सरकारी स्तर से उपलब्ध कराया जाय। खगड़िया जिला में पेयजल की अत्यंत कठिनाई है। शहरी क्षेत्र के लिए 100 चापाकल के लिए नगर विकास विभाग में राशि के अभाव में फाइल पड़ी हुई है। इसके लिए राशि का आवंटन किया जाय। महोदय, हमारे विधान-सभा क्षेत्रमें 60 प्रतिशत चापाकल बेकार पड़े हुए हैं उसको चालू करवाया जाय। राजकीय नलकूप 135 हैं जिसमें से 91 बन्द हैं, उनको चालू करया जाय। खेती के लिए प्राईवेट पम्प 601 हैं जिसमें 50 ही चालू हैं। शेष को बिजली आपूर्ति फिर, तथा सभी प्रकार की ऋृण वसूली माफ किया जाय। पम्पों को चालू कराया जाय। महोदय, यही मुझे कहना है।

श्री हेम लाल मुर्मू : सभापति महोदय, दक्षिण बिहार आज सुखाड़ की चपेट में है। दक्षिण बिहार की मुख्य फसल भदई है, भदई नष्ट हो चुकी है। खरीफ फसल की बुआई नहीं हो सकी है। यहां के खेतिहर मजदूर का पलायन हो रहा है। आप जानते ही होगें, पूरा गढ़वा ओर पलामू में सेमालिया से भी बदतर स्थिति हो गई है। वहां पर भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है लेकिन जो राहत-कार्य सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है वह अपर्याप्त है। उसी तरह से पूरे लोहरदग्गा, जमुई, गिरिडीह और साहेबगंज की स्थिति खराब है। वहां जो भी उद्वह सिंचाई योजना बनायी गयी हैं वे एक तरह से सारे ठप हैं। वह पानी सप्लाई नहीं करता है। सभापति महादेय, आप जानते होंगे कि उस जिले में खासकर के साहेबगंज में दो सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसमें तैयारी परियोजना भी है उनमें लाखों

रुपये खर्च के बाद भी पानी नहीं दे रहा है। उस इलाके में आदिवासियों की जमीन भी काफी बर्बाद की गयी है लेकिन उससे उन लोगों को किसी तरह का फायदा नहीं है।

इन्द्रनाथ भगत : सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि बिहार में जो गत वर्ष वर्षा नहीं हुई जिसके कारण सारे दक्षिण बिहार की खेतों की बात तो छोड़ हो दीजिए, वहां के लोगों को पानी पीने के लिये भी बड़ी कठिनाई हो रही है। सभापति महादेय, आप तो स्वयं पलामू जिला से आते हैं, पलामू जिला के सटे हुए लोहरदग्गा और गुमला है वहां गत वर्ष सुखाड़ पड़ा था और इस वर्ष में उससे वह अछूता नहीं रहा।

पलामू के सुखाड़ के बारे में जिस तरह से सरकार का रवैया रहा तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार अभी से ही सचेष्ट नहीं रहे तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जायगा। वहां यदि रिलीफ का कार्यक्रम नहीं चलाया गया तो लोग भूख से मर जायेंगे। यह बात सत्य है। साथ ही सभा ही सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं मान्नीय राहत मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि आप छोटानागपुर में जितने भी छोटे-छोटे नाले हैं उसको ऐसा बनाया जाय ताकि आनेवाले समय में पानी का स्कारसिटि नहीं हो। पलामू, [illegible], हजारीबाग, गुमला और लोहरदग्गा पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में जितने नाले हैं उसमें [illegible] के परोनियल को बंद कर के ऐसा योजना बनाया जाय ताकि लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था हो सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार स कहना चाहता हूँ कि लघु सिंचाई और लिफ्ट इरीगेशन की योजनाएं चाहे माल्को का हो चाहे माइनर इरीगेशन का हो, उसमें ट्रांसफौरमर लगे हुए हैं लेकिन बिजली के कनेक्शन नहीं होने के कारण उससे लोगों को लाभ नहीं पहुँच रहा है। इसलिये सरकार इसपर ध्यान दे ताकि वहां कुछ खेती हो सके।

श्री रवीन्द्र चरण यादव : सभापति महादेय, सुखाड़ पर वाद-विवाद चल रहा है। मैं आपके माध्यम से मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज, मुरलीगंज प्रखण्ड के सुखाड़ की ओर ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ। चोसा कैनाल, जे. बी. सी. कैनाल, ग्वालपाड़ा मैनर, खुरहान मैनर, आलमनगर मैनर, सरौनी मैनर, किशनगंज मैनर,

पुरैनी मैनर में 10 वर्ष से पानी नहीं जाता है इसलिये कि ये सभी मैनर कई जगह से कटा हुआ है और इस मैनर का पेट 10 वर्षों के अन्तराल से भरा हुआ है जिस कारण से पानी नहीं चलता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन सभी मैनरों टूटे हुये बाँध की शीघ्र मरममति किया जाय और इन मैनरों के पेट की मिट्टी काट करके सफाई करने की व्यवस्था करे ताकि नहर में ठीक मात्रा में पानी जाय और नहर के समीप को जमीन सिंचित हो सके। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सिंचाई विभाग के माध्यम से तत्काल ऐसे इन सारे नहरों की सफाई नहीं होती है तो सरकार रिलीफ विभाग के तहत कोष से जो अनाज के बदले काम की योजना चलाई है उससे जिला प्रशासन उक्त सुखाड़ की राशि को गाँव के सड़क पर मिट्टी भरवाने की व्यवस्था करती है और गाँव के सड़क पर 89-90, 90-91, 91-92 एवं 92-93 में मिट्टी दिया जा चुका है। मेरा निवेदन होगा कि सरकार सह-निर्देश करे कि सुखाड़ राहत कोष से जो अनाज के बदले काम के लिये दिया जाता है और जिससे मजदूरों को काम मिलता है। सड़कों पर मिट्टी डालने की कार्य को प्राथमिकता देकर सरकार की सफाई के साथ-साथ दोहरी लाभ होगी। एक तो मजदूरों को मिट्टी काटने का रोजगार मिलेगा और दूसरे नहर, मैनर और कैनाल की सफाई होगी जिससे समीपीय जमीन सिंचित होगा अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है कि एरिगेशन और रिएंन्टेड जॉब और एरीगेशन औरिएंटेट प्लान की व्यवस्था की जाय।

सभापति महोदय, दूसरी समस्या है माईनर एरिगेशन का। माईनर एरिगेशन के तहत दो प्रकार की समस्या हैं। एक स्टेट बोरिंग जो बन्द और खराब पड़ा हुआ है दनको अति शीघ्र चालू किया जाय। बहुत से स्टेट बोरिंग नहीं है वहां स्टेट बोरिंग की व्यवस्था की जाय। बहुत से स्टेट बोरगि ठीक हालत में है लेकिन बिजली के अभाव में स्टेट बोरिंग काम नहीं कर रहा है सरकार वहां शीघ्र की व्यवस्था करे अर्थात सरकार प्राथमिकता के आधार पर जहां स्टेट बोरिंग है वहां यदि ट्रान्सफॉरमर जले हुये हैं या ट्रान्सफॉरमर खराब है तो सुखाड़ की दृष्टिकोण से ट्रान्सफॉरमर वहीं लगाये जायें जहां स्टेट बोरिंग है। कहीं स्टेट बोरिंग तो है पर पोल और तार की व्यवस्था कुछ दूर तक नहीं रहने के कारण चालू नहीं हो पाया है वहां प्राथमिकता के आधार पर पोल और तार की व्यवस्था करके स्टेट बोरिंग को चालू किया जाय। हमारे क्षेत्र उदकिशुनगंज में विश्वारी, झलारी, हरैली, करौती, पिपरा, लक्ष्मीपुर,

रहटा और बाराटेनी में स्टेट बोरिंग है पर स्टेट बोरिंग ठीक कन्डीशन में नहीं है। इन सभी स्टेट बोरिंग को ठीक कराने की आवश्यकता है। सरकार शीघ्र ठीक करावे और उक्त स्टेट बोरिंग को चालू कराये। हरैली, झलारी, लक्ष्मीपुर, मोहनपुर चौमुख, रहटा और बिहारीगंज में शीघ्र सरकार ट्रान्सफॉरमर की व्यवस्था करें और उक्त स्टेट बोरिंग के पास जहां पोल और तार की कमी है वहां पोल और तार की व्यवस्था करे। तीसरी समस्या है कि सरकार नये सिरे से सिंचाई हेतु स्टेट बोरिंग की व्यवस्था करे। मुरलीगंज प्रखंड अन्तर्गत तुलसिया, बैजनाथपुर, सगरदीना, टेमाभेला और उदाकिशुनगंज प्रखंड अन्तर्गत कुस्थन, रही, रामपुर डेहरू रहुआ, सरसण्डी, झंझरी, शेखपुरा, रहटा गोपालपुर, लशकरी, तेलडीहा, महेसुआ में स्टेट बोरिंग की व्यवस्था वर्तमान बजट योजना में शीघ्र करे। जो तालाब वर्षों से जर्जर अवस्था में हैं, सरकार राहत कोष से सड़क पर मिट्टी देने के बजाय तालाब की सफाई ही व्यवस्था करे ताकि तालाब के समीपिय जमीन सिंचित भी हो सके, मवेशियों को पानी की सुविधा मिले और तालाब के मिट्टी काटने के काम से मजदूरों को काम मिलेगा।

सभापति महोदय, सबसे घोर आश्चर्य की बात है कि सुखाड़ राहत पर विवाद की बात चल रही है सहाय्य एवं पुनर्वास मंत्री सदन को, सरकार का निश्चित रुप में आश्वस्त करे कि मधेपुरा जिला में विगत 5 वर्ष से जो घर आग लगने से जला है, पर जले हुये घर का मुआबजा की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। नाव जो नदी में चलता है, विगत 7 वर्षों से नाविकों के बकाये राशि का भुगतान गरीब मल्लाहों को नहीं हो पाया है। मधेपुरा के जिलाधिकारी ने मधेपुरा जिला के लिये जले हुये घर के मुआबजा मद में एवं नाविकों की बकाये राशि का भुगतान करने हेतु एवं भूकम्प से क्षतिग्रस्त सड़क, पुल-पुलिया और विद्यालय जो ध्वस्त हो गया है 85-86, 87-88 के बाद और भूकम्प में उसकी मरम्मति के लिये कलक्टर ने सरकार से अनुरोध किया है करीब 67.00 लाख रु. का प्राक्कलित राशि जिलाधिकारी, मधेपुरा ने सरकार से अपील की है। पर सरकार द्वारा अभी तक प्राक्कलित राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि जले हुये घर के मुआबजा, नाविकें के बकाये राशि भूकम्पग्रस्त पुल-पुलिया एवं विद्यालयों की मरम्मति के लिये सरकार शीघ्र जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अनुशंसित राशि का भुगतान करे।

सभापति महोदय, उदाकिशुनगंज, मुरलीगंज और मधेपुरा कोशी इलाका है,

बालू ही बालू है उद्योग के नाम पर कोई चीज नहीं हैं वहां के किसानों की जीविका का साधन मात्र कृषि है। 85,86, 87 के बाद एवं 88,89 भूकम्प एवं 90-91, 91-92, 92-93 की सुखाड़ से सम्पूर्ण उदाकिशुनगंज और मुरलीग्रज प्रखंड भूख की ज्वलंत से तड़प रहा है और दाने-दाने के लिये मुहताज है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उदाकिशुनगंज प्रखंड को सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र, अकालग्रस्त प्रखंड घोषित करके मधेपुरा जिला को अकालग्रस्त जिला घोषित कर उदाकिशुनगंज को सरकार "ए" श्रेणी में लेने कि घोषणा करे और सूखा राहत कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चलावे।

श्री बृज मोहन सिंह : सभापति महोदय, इस मंत्रिमंडल के द्वारा सारे राज्य में अभावग्रस्त क्षेत्र की घोषणा की गयी लेकिन इस अभावग्रस्त घोषित करने के वाद इस मंत्रिमंडल को शर्म नहीं आयी कि एक पैसा अपने खर्चे में कटौती नहीं किया। मंत्रिमंडल के लोग अपन खर्च करते हैं, टी.ए. लेते हैं, सारी सुविधायें लेते हैं और कहते हैं कि यह राज्य अभावग्रस्त है। बिहार सूखाग्रस्त होने की वजह से भूख से मर रहा है, गढ़वा में लोग भूख से मर रहे हैं। मदनपुर में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। कुटुम्बा, नबीनगर, रफीगंज, डोवी आदि के इलाके सूखे से जल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री ने मदनपुर को अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा है, हमारे मंत्री जी उसी जिले से आते हैं लेकिन एक बार भी किसी प्रखंड को देखने के लिए नहीं गये और कहते हैं कि रेवेन्यू नहीं मिलता है। मदनपुर को "ख" श्रेणी में रखा गया है और जब पानी नहीं हुआ तो 15 जून को मिट्टी का काम बंद करवा दिया।

श्री बालिक राम : सभापति महोदय, मध्य बिहार का इलाका जहां से हम आते हैं वहां पूरा सुखाड़ की स्थिति हो गयी है। गत वर्ष भी गया जिला, नवादा जिला, औरंगाबाद जिला, जहानाबाद जिला में सुखाड़ की स्थिति थी और इस वर्ष भी हो गयी है। 75 प्रतिशत बिचड़े नहीं डाले गये और भदई की फसल तो मारी ही गयी। सभपति महादेय, जून के प्रथम सप्ताह में रिलीफ का जो पैसा गया, जिला में वहां के सभी ब्लौक गत वर्ष ए, बी, और सी श्रेणी में रखा गया था लेकिन 15 जून को चिट्ठी चली गयी कि काम बंद कर दीजिए। इसलिए जो पैसा गया वह जिला में रखा हुआ है। सभापति महादेय, मजदूर पलायन कर रहे हैं दूसरे इलाके में जा रहे हैं क्योंकि वहां काम नहीं मिल रहा है। आहर और पैन की सफाई नहीं हुई हैं। साथ ही एक इंच बिजली का तार नहीं है और ट्रांसफरमर नहीं है।

श्री शशिकुमार राय : सभपति महादेय, मैं मुजफ्फरपुर जिला से आता हूँ।

उसकी पृष्टभूमि ऐसी है कि कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। मैं सरकार का ध्यान मोतीपुर की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमलोगों के इलाके में जो स्टेट ट्यूबबेल है उसका मरम्मत नहीं हो पाया है।

श्री शशि कुमार राय : मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बोरिंग किया गया है जहाँ बिजली की कमी है वहां बिजली की व्यवस्था की जाये ताकि किसान अपनी खेती कर सके। दूसरी बात है कि जो नहर हमारे यहां हैं उसमें पानी कम आ रहा है उसमें पानी अधिक मुहैया किया जाये जिससे किसान खेती कर सके। उद्‌वह सिंचाई योजना जो हमारे यहां चलते हैं उसमें जो डिजल इंजन लगा हुआ है उसको डिजल नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वह कर्यरत नहीं है, इसलिए इन्हें कार्यरत कराया जाये। हरेक पंचायत में राशन की व्यवस्था होनी चाहिए। गाँवों में मजदूरों को काम की व्यवस्था होनी चाहिए और उनलोगों को भोजन के उपाय करने की जरुरत है।

श्री ज्योतिन्द्र प्र॰ सिंह : सभापति महोदय, आप जानते हैं कि पूरा बिहार सूखे की चपेट में है लेकिन छोटानागपुर और संथाल परगना की धरती पर गिरिडीह जिला दुमका और धनबाद जिला, बोकारो जिला में सारे इलाके सूखे के चपेट में हैं। मैं खासकर गिरिडीह जिला की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। गिरिडीह जिला में गत एक डेढ़ महीना से पानी नहीं पड़ा है, वर्षा नहीं होने के कारण एक तो हमारे यहां एक नंबर का खेत नहीं है, जो भी खेत है, उनमें रोपनी नहीं हो सकी है और जो बिचड़े डाले भी गये थे, वे सूख गये हैं। भदई फसल मारी गयी है। हमारा इलाका आदिवासी का है। गत साल भी सूखा क्षेत्र घोषित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से राहत के जो कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए थे वे शुरु नहीं किये गये। इस साल भी यही हालत है। इसलिए वहां पर राहत कार्यक्रम शुरु कराया जायें गरीबों को लाल कार्ड दिया जाये। यह मांग हम सरकार से करते हैं।

श्री शिवाधार पासवान : सभापति महोदय, हमारे इलाके में सोन नहर के क्षेत्र में पड़ता है और सोन नहर की एक शाखा रजवाहा पूरी तरह दो कि॰ मी॰ में टूटी हुयी है और पानी नहीं आता है। कुसैली माईनर का दो-दो बार मरम्मत हुआ लेकिन पानी एक-बार भी नहीं गया। कुदरा में लिफ्ट एरीगेशन है लेकिन वह एक

दिन भी नहीं चला। पूरे मोहनिया ओर कुदरा में 55 स्टेट टयूबेल है जिस में 5 ही चालू हैं, कोई चालू नहीं है, शेष बंद हैं। किसी में ट्रांसफरमर नहीं है कहीं पर तार नहीं है और दूसरे पार्ट्स नहीं है और अगर सब कुछ हैं तो औरपरेटर नहीं है। तीसरी बात है कि छोटी नदियों पर बहुत से छिलके बांधे गये हैं। सिमरिया बांध को 3 फीट ऊँचा करना है। एरीगेशन और माईनर एरीगेशन का झगड़ा है। एरीगेशन का नहर टूय हुआ है एरीगेशन कहता है कि हम पानी का दाम वसूल करेंगे और माईनर विभाग कहता है कि हम वसूलेंगे। इन दोनों के झगडें मे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। इसको तत्काल ऊँचा किया जाये और नहर का मरम्मत किया जाये। इसी तरह गोरया नदी में छिलका बनाने की जरूरत है। जगदीश पूर बांध और कुदरा में जो छिलका टूट गया है उसको भी बनाने की जरूरत है। सबसे अधिक प्रभावति इलाका भभुआ का अधौरा है, जहां आदिवासी लोग रहते हैं। कैमूर का इलाका है, वहां के आदिवासियों को कोई काम नहीं है। किसानों के खेत में पानी नहीं है, मजदूरों को काम नहीं हैं। इसलिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाये और मजदूरों को काम देने की व्यवस्था की जाये ताकि वे भूखों न मरें।

श्री दशरथ कुमार सिंह : सभापति महोदय, संपूर्ण बिहार आज अकाल की चपेट में है, उ॰ वि॰, द॰ बिहार, मध्य बिहार सारे जगह के लोग अकाल से जल रहे हैं इसके बाद भी सरकार ने अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया है। इन्हें अकालग्रस्त घोषित कर अकाल संहिता लागू करनी चाहिए। सभापति महादेय, पलामू ओर गढ़वा की स्थिति की चर्चा मैं क्या करुं सारा बिहार जानता है। मैं एक-दो उदाहरण देना चाहता हूँ। मरातू थाना के कसियाडीह में 29 अक्टूबर को शारदा नाम का आदमी भूख से भात के बिना मर गया। उसी तरह दिनांक 6-3-93 को श्यामल चटराज की पत्नी भूख से मर गयी, और कफन के लिए पैसे नहीं थे। सभापति महादेय, सोमालिया की स्थिति संपूर्ण पलामू में हो गयी हैं। संपूर्ण बिहार को अकाल ग्रस्त घोषित कर अकाल संहिता लागू करें। सरकार को अकाल ग्रस्त घोषित करना चहिए। बिजली को नियमित करना चाहिए। खादी बोर्ड को मजबूत करके लघु उद्योगों का जाल बिछाना चाहिए और पलामू जिला में पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

डा॰ विजय कुमार सिंह : सभापति महोदय, पूरा राज्य आज सुखाड़ की

चपेट में हैं, अकाल की स्थिति हो गयी है, और सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। यह सोयी हुई है। मैं अभी पूरे प्रोभिंस की बात न कर अपने क्षेत्र तक की, समयाभाव के कारण, सीमित रखूंगा। रफीगंज, साथ ही कोंच और टेकारी जो इसके सटे हुये क्षेत्र हैं वहां पिछले साल भी भदई की फसल नष्ट हो गयी थी और इस साल भी बर्षा के अभाव में भदई की फसल नष्ट हो गयी है। साथ ही साथ जो विचड़ें थोड़ा बर्षा होने पर किसानों ने डाला था वे भी जल गये हैं। सभापति महोदय, रोपनी के लिए पानी नहीं है। हमारा सहाय्य मंत्री जी से चालिस सालों का संबंध हैं लेकिन वे वहां पर राहत का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। स्टेट ट्यूबवेल-वेल बेकार पड़े हैं लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

श्री राम परीक्षण साहू : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर जिला के बारे में अनुरोध करना चाहूँगा कि और मंत्री जी से कहूँगा कि कुढनी को "ए" श्रेणी को रखें। पताही, मधोपुर, सरैया, कुढ़नी, सोनबरसा इन सारी जगहों में हमारे यहां ट्रांस्फॉर्मर जले हुये हैं। ट्रांसफरमर जले रहने के कारण किसानों के खेतों में सिंचाई नही हो सकती है। इसलिए बिजली विभाग से भी आपके माध्यम से अनुरोध करुंगा कि वहां पर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करें और उपरोक्त इलाकों को "ए" श्रेणी घोषित करें। मजदूरों को काम दिलाने के लिए रोजगार मुहैया करें।

श्री गुरुदास चटर्जी : सभापति महोदय, धनवाद जिला में कोयला खदान के चलते वहां वाटरलेबल नीचे चला गया है। जिसका नतीजा है कि वहां पर जितने भी चापाकल लगाये गये हैं उनमें 80 प्रतिशत खराब हो गये हैं। और उसे पानी नहीं मिल रहा है। जनता को पीने के पानी का घोर अभाव हो गया है। सभापति महादेय, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में दो-दो जलाशय हैं फिर भी टैंकर से पानी ला कर कुँआ में डाल रहे हैं पीने के लिए और हमारे क्षेत्र में जो दोनों जलाशय हैं उससे रानीगंज शहर में पानी सप्लाई हों रहा है और हमारे यहाँ आठ कि॰ मी॰ की दूरी पर पानी नहीं दिया जाता है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वहां के लिए पानी टंकी सैंक्शन किया जाये।

श्री उदय नारायण चौधरी : सभापति महादेय, आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि दो माह पहले प्रधान मंत्री आये थे, मध्य

बिहार का पलामू, चतरा, गया यह पूरा इलाका सुखाग्रस्त है और इसके पहले। 1964 में भी अकाल वहां आया था। प्रधानमंत्री आये थे ओर उन्होंने वादा किया था कि वे राज्य सरकार को पर्याप्त सहायता देगें लेकिन अभी तक वादा के अनुसार पर्याप्त सहायता नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने सीमित साधान से जो सुखाड़ का सामना किया, उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के सहाय्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि चतरा, गया, जिला पलामू के इलाके हैं उन इलाकों में इन जिलों में मध्य बिहार में जो लाल कार्ड बांटे गये हैं, उसके माध्यम से राशन मुहैय्या कराया जाये, सहायता की जाये। विशेष रुप से गया जिला, पलामू, चतरा में पानी का लेअर भाग रहा है।

उपेन्द्र नाथ दास : सभापति महादेय, चतरा जिला श्रेणी "ए॰" में है। राज्य सरकार और केंन्द्र की सरकार सुखाड़ से लडने के मामले में बिल्कुल गम्भीर नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ। मेरे यहां प्रधानमंत्री, मुंख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र मो॰ हिदयातुल्ला खां एवं श्री सीताराम केसरी सुखाड़ के इलाके में गये थे। दौरें पर गये थे, सिरमिया ब्लाक के अन्तर्गत हरकनाथपुर में सोहरा भुईयां का कुंआ था, वह कुंआ बिल्कुल सूखा हुआ था, वह कुंआ जलधारा स्कीम के अन्तर्गत बनाया गया था, इस कुंआ को उन लोगों ने देखा था और प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसमें आप वोरिंग कराइये, उस कुंआ में बोरिंग नहीं कराया गया है, जब मैंने उपायुक्त से पूछा तो उपायुक्त ने कहा कि हाई कम्प्रेशर का मशीन नहीं है जिसके वजह से बोरिंग का काम नहीं हुआ है। ताण्डव हमारे इलाका में पड़ता है जहां पानी का लेयर 500-600 फीट नीचे चला गया है, वहां 40 एच॰ पी॰ की मशीन लगाने की जरुरत है।

श्रीमति गायत्री देवी : सभापति महादेय, पूरा नवादा जिला सुखाड़ से प्रभावित है, आपके माध्यम से बिहार सरकार का ध्यान नवादा जिला के 10 प्रखण्ड की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ जो सुखाड़ से प्रभावित है, खास कर के कोयाकोल, गोविंदुर, रोहथाना गंभीर रुप से प्रभावित है, यह पहाड़ी इलाका है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रांसफरमर जले हुये हैं, बिजली नहीं हैं। लेकिन जवहार इन तीन वर्षों में कोइ व्यवस्था नहीं की है। मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार से मांग करती हूँ कि कि नवादा जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाय और सिंचाई, बिजली की समुचित व्यवस्था की जाय।

श्री विजय शंकर दूबे : सभापति महादेय, यों तो पूरा बिहार ही सुखाड़ के चपेट में है, लेकिन सभापति महादेय, समयाभाव के कारण मैं अपने जिले की बात करता हूँ और सिवान जिला सुखाड़ से पूरा प्रभावित है, सिवन जिले के 15 प्रखण्ड, जैसे सिसवन, रघुनाथपुर, मैरवा, दरौली, गुठने, हुसैनगंज, आंदर, महारागंज, दरौंदा, सिवान, वसंतपुर, पचरुखी एवं भगवानपुर तथा वरहरिया ये सारे प्रखण्ड सुखाड़ से प्रभावित है और बिजली बंद पड़े हुये हैं, ट्रांसफरमर भी नहीं बदले गये हैं और जो नहरें हैं, सिल्टेशन के कारण उसमें पानी नहीं जाता है, सिंचाई नहीं हो पाती है। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि उन नहरें में पानी देने की व्यवस्था की जाय, ट्रांसफारमर बदलने की व्यवस्था की जाय ताकि किसान सुखाड़ से बचाये जा सकें।

श्री चन्द्रदीप सिंह : सभापति महादेय, आज सारा बिहार अकाल के चपेट में है, यह सुखाड़ 1967 से भी भयंकर है। भोजपुर जिला के विहिया, कटिया नहर के निचले हिस्से में चार स्टेट बोरिंग लगाये गये थे, लेकिन वे बोरिंग बिजली के अभाव में बेकार पड़े हुये हैं। सभापति महादेय, जगदीशपुर में -4, चरपौखरी में -2, वरहरा में -3, मुफस्सील में-2 और कोलिवर में एक स्टेट बोरिंग बंद है बिजली के अभाव में। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि नहरों की मरम्मति नहीं हो रही है जिसके चलते रोपनी का काम बिल्कुल बंद है, और सुखाड़ होने की स्थिति हो गई है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि नहरों में पानी की व्यवस्था की जाय, बिजली की व्यवस्था की जाय।

डा॰ शकील अहमद : सभापति महादेय, एक बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है पूरे सदन में और सदन के बाहर कि उत्तर बिहार में बाढ़ आई है, वहां सुखाड़ नहीं है। सभपति महादेय, उत्तर बिहार की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, वहां बाढ़ भी है और सुखाड़ भी है। मधुवनी और दरभंगा जिला के जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है उससे अलग विस्फी, वेनीपट्टी, खजौली, हरलाखी, मधवापुर प्रखंडो में सुखाड़ है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ रिलिफ मंत्री से, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सभापति महोदय, एक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी सलाना 8500 रुपया हैं और रिलिफ नियम है कि रिलिफ उन्हीं को मिलेगा जिनकी सलाना आमदनी 3500 से ज्यादा की नहीं है, तो इस तरह से मजदूरों को रिलिफ नहीं मिल सकेगी, इस और

सरकार ध्यान दे।

श्री शकुनी चौधरी : सभापति महोदय, पूरा मुंगेर जिला सुखाड़ से प्रभावित है, पिछले साल भी वहां कोई कार्य नहीं हुआ और जून से कार्य बंद है, रिलीफ का एक पैसे का कार्य नहीं हो रहा है, सभापति महोदय, मैं आग्रह करुंगा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 12 जले हुये जो ट्रांसफामर हैं उनको बदला जाय और इसकी व्यवस्था की जाय।

श्री अवध बिहारी चौधरी : सभापति महोदय, सिवान जिला भयंकर सुखाड़ की स्थिति में है, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि सिवान जिला को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाय। सभापति महादेय, दूसरा सुझाव है कि सिवान जिला के मैरवा प्रमण्डल, महाराजगंज प्रमण्डल और सिवान प्रमण्डल जो गंडक का क्षेत्र है वहां पर जो नहरें हैं, उसको सुधार कर पर्याप्त पानी दिया जाय। दूसरा सुझाव यह है कि जो ट्रांसफारमर जले हुये हैं, उनको बदला जाय।

श्रीमति ज्योति : सभापति महादेय, भोजपुर जिला सुखाड़ से भयंकर रुप से प्रभावति है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि सहार, तरारी, चरपौखरी, संदेश, पीरो, उदवंतनगर, वरहरा, आरा प्रखंड में जो नहर इलाका पड़ता है, उन नहरों की मरम्मति नहीं होने के वजह से पानी नहीं जा रहा है, वहां की जनता और वहां के किसान आर्थिक कठिनाई में हैं, काफी कठिनाई में है, अंतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि भोजपुर जिला जो भयंकर सुखाड़ की स्थिति में है, उस ओर सरकार अविलम्ब ध्यान दे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : (नवीनगर) सभापति महादेय, औरंगाबाद जिला के सभी प्रखंड सुखाड़ के चपेट में है, वहां जो ट्रांसफरमर जले हुये हैं, उनको बनाया जाय, पेय जल की व्यवस्था की जाय, ऋृण की वसूलीवाद की जाय, रिलीफ कार्य चलाये जांय, ओर वहां के लोगों के लिये काम की व्यवस्था की जाय, सस्ती रोटी की दुकान खोली जायं पूरे औरंगाबाद जिला को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाय।

<u>सरकार का जबाब</u>

श्री रामविलास सिंह : सभापति महोदय, मान्नीय सदस्यों ने सदन में डेढ़

घंटा तक अपने बहुमूल्य विचार को रखा है। यह बात सही है कि बिहार हर साल बाढ़ ओर सुखाड़ दोनों से प्रभावति हुआ है। सभापति महोदय...

सभापति : मान्नीय सदस्य लाल बाबू जी आपको कुछ कहना है?

श्री लाल बाबू राय : सभापति महोदय, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के हमारे चिरैया और घोड़ासाहन प्रखंडों में 90 प्रतिशत पंचायत सुखाड़ से प्रभावित है और शेष 10 प्रतिशत बाढ़ से ग्रस्त है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मान्नीय मंत्री महोदय से अनुरोध होगा कि वहाँ भी राहत का कार्य चलाया जाय?

सभापति : ठीक है, अब आप बैठ जायं।

श्री राम विलास सिंह : सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बाढ़ और सुखाड़ आया, कुछ लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि यह सरकार नजरअंदाज कर रही है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने तो सुखाड़ में जिस ढंग से सामना किया है, अगर सुखाड़ फिर भी आता है, तो इसका सामना करेंगे और निश्चित रुप से सामना करेंगें यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सभापति जी, गत साल जो सुखाड़ हुआ था, बिहार ने अपने संसाधन से 77 करोड़ रुपया खर्च किया और सुखाड़ का सामना किया। सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने 77 करोड़ रुपया गत साल सुखाड़ में खर्च किया था, लेकिन आज मिश्रा जी बताना चाहते हैं कि हमने 77 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन आपने केन्द्र से कितना पैसा सुखाड़ के नाम पर दिलवाया? सुखाड़ के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया था 188 करोड़ रुपये का, वह पैसा तो हमको जे० आर० वाई० में मिला, वह पैसा जे० आर० वाई० में चला गया, इसके बावजूद भी आप हम पर संदेह कीजियेगा, हमारे मुख्यमंत्री जी पर संदेह कीजियेगा। हमारे मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के कथनी और करनी में एकरुपता है, यह सरकार के कथनी और करनी में एकरुपता है, आप कहेंगे तो मैं उसको साबित कर दूंगा, हमलोगों ने किया है, सुखाड़ में और इसी तरह से हमलोग बाढ़ में भी करेंगे।

श्री राजो सिंह : सभापति महादेय, नेता विरोधी दल इधर से नहीं बोलें और सरकार की ओर से मुख्यमंत्री यानी सभा नेता भी नहीं बोल रहे हैं कि दक्षिण बिहार के प्रति इनको स्नेह नहीं है, मंख्यमंत्री जी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं ?

श्री लालू प्रसाद : महोदय, अभी तो बहुत कम समय है। नेता को बोलना पड़ता है। क्या यह जरूरी है कि रोज हम ही बोलेंगे और लोगों को भी मौका देना चाहिए। एक तो आप और लोगों को नहीं बोलने का मौका देते है। हमलोग बोलते कम हैं और करते हैं बेसी ओर उत्पादन का जो लक्ष्य था खाद्यान्न का इस बार सुखाड़ के रहते हुए हमने सरपल्स उत्पादन किया है और कहीं भी भूख से मरने नहीं दिया है, बड़े पैमाने पर काम हो रहा है।

श्री राम विलास सिंह : सभापति महोदय, मैं आपको जानकारी करा देना चाहता हूँ कि 21 जुलाई तक वर्षा की किया स्थिति रही है। जून तक 2 से 16.4 मि॰ मी॰ वर्षा होनी चाहिए थी और जुलाई तक 112.1 मि॰ मी॰ वर्षा होनी थी लेकिन उसमें 48.2 मि॰ मी॰ की कमी आयी है।

सभापति : राम विलास बाबू आप खाकर नहीं आए हैं क्या? जितना काम किया है उसके बारे में खखर के बोलिये ना।

श्री राम विलास सिंह : जल संसाधन विभाग के बारे में बतलाना चाहता हूँ कि पानी की क्या स्थिति है जो हमारे जल ग्रहण क्षेत्र हैं उसमें से 6 लाख 71 लाख हजार 103 क्यूसेक पानी की क्षमता है और कुल क्षमता....

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महोदय, यह नियम आप ही का रामाश्रय बाबू बनाया हुआ है। महोदय, यह मैंने कोई नया कानून नहीं बनाया है। 75 प्रतिशत डियू देने के बाद किसानों को बिजली का ट्रांसफॉर्मर देने का नियम आपने बनाया है और आज वहीं नियम चल रहा है लेकिन जहां हार्डशीप हैं उसको हमलोग देखवा लेंगे। बकीयौटा पैसा आज नहीं कल देना ही पड़ेगा, लेकिन खेती हैम्पर नहीं करे इसके लिए बात करके कोई रास्ता निकाल देंगे। पूरे बिहार भर में आदेश चला गया है। सुखाड़ और बाढ़ से जो स्थिति पैदा हुयी है हार्डशीप है सभी पूरे चला गया है सुखाड़ और बाढ़ से जो स्थिति पैदा हुयी है हार्डशीप है सभी वसूली पूरे बिहार भर में अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। यह मैंने कह दिया है।

श्री राजो सिंह : अब तो एकाध मिनट बच गया है मुख्यमंत्री जी से बोलवा दीजिये।

श्री राम विलास सिंह (मंत्री) : सभापति महोदय, दक्षिण बिहार में सुखाड़ की स्थिति है। जो वहां टांसलानटेशन और रोपनी की स्थिति है उसकी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। राज्य में दिनांक 24-7-93 तक 7 जिलों रांची, गुमला, लोहरदग्गा, पूर्वी सिंहभूम में 50 प्रतिशत से अधिक रोपनी हो चुकी है।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, सरकार ने यह फैसला लिया है कि सुखाड़ग्रस्त इलाके खासकर दक्षिण बिहार के इलाके पलामू, चतरा, गढ़बा, मुंगेर, जमुई।

(व्यवधान)

महोदय, जितने ए० कैटोगरी के, बी० कैटोगरी के स्थान हैं, अधिकांश छोटानागपुर इलाका दक्षिण का और मध्य बिहार का जो इलाका है यहां पूरी तरह से और हमारे यहां गोपालगंज, सिवान में...... (व्यवधान) सारा लिस्ट बना हुआ है महोदय। दुमका का भी उसमें आ गया। इसलिये महोदय बाढ़ और सुखाड़ में हमलोग, बिहार के लोग दोनों तरफ से तमाचा खा रहे हैं।

हमारे किसान, गरीब लाचार आदमी.. व्यवधान। पलामू, गढ़वा इलाके में महोदय तब तक भदई फसल, मकई नहीं हो जाती तब तक उनके सामने भूख की समस्या रहती है। इसलिये हमने व्यवस्था किया है एक्सटेंड कर दिया है कि जब तक भदई और मकई की फसल नहीं आ जाती है, जिन परिवारों के लिये लाल कार्ड की व्यवस्था की थी, फूड फार वर्क की व्यवस्था की थी, जवाहर रोजगार योजना से जो व्यवस्था की थी या खिचड़ी बांटने का काम प्रधानमंत्री से जो पैसा मिला रिलीफ राहत का काम रोकेंगे नहीं और जिस वाढ़ के लिये बना है सर्वदलीय समि्ति, इसका जरूर हिसाब-किताब आप लें कि आपके जिला में, प्रखंड में क्या सामान आया है और क्या बंटना चाहिये, क्या होना चाहिये। हर मुखिया के यहां जिम्मेवारी के साथ कि कहां गेहूं, चावलं देने की बात रखी गयी वे जिम्मेवारी होंगे और कुछ होने पर वही लोग 302 में जायेंगे। हां समय पर पदाधिकारी लोग वहां सामान नहीं दिये हैं तो वैसे पदाधिकारियों को निश्चित रुप से हम दंडित करेंगे। महोदय, एक पंडितजी ने बतलाया कि घबड़ाना नहीं चाहिये। अभी जो फसल पहली बरसात में लगी है धान वाली ...व्यवधान। एक पंडित जी ने कहा कि इस बार दो भादो लग गया है, दो मास आ गया है इसलिये आपको घबड़ाना नहीं चाहिये।

बिचड़ा को बचाकर रखें यदि यह फसल फेल होगा तो अगले भादों में ठेलमठेल फसल कर देंगे और किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। हमने कहा कि कहां सूखा। इसकी खबर कीजिये, राशन ले जाइये और बांटिये।

(सदन में थपथपी)

सभापति : अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 29 जुलाई, 1993 ई० के 11-00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है।

पटना
28 जुलाई 1993 ई०

युगल किशोर प्रसाद
सचिव
बिहार विधान-सभा।

दैनिक निबंध

बुधवार, दिनांक-28 जुलई,1993 ई०

<u>विविध चर्चाएँ :</u>

प्रतिवेदन का उपस्थापन :

लोक लेखा समिति के सभापति श्री जगदीश शर्मा ने समिति के प्रतिवेदन संख्या-285, 286 एवं 287 की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित की।

(2) अलग झारखंड राज्य के मुद्दे पर सदन में शोरगुल :

मान्नीय मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद ने अलग झारखण्ड राज्य के मुद्दे पर सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट की एवं सदन द्वारा पूर्व में पारित किए गए झारखण्ड विकास परिषद विधेयक की चर्चा करते हुए कहा कि इस विधेयक पर विचार-विमर्श हेतु आज 3.00 बजे अपराह्न में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।

लेकिन इस पर विरोध प्रकट करते हुए कतिपय मान्नीय सदस्यगण सदन के "वेल" में आ गए एवं उक्त विधेयक पर सदन में चर्चा कराए जाने की मांग करने लगे। इस क्रम में कतिपय मान्नीय सदस्यों ने सदन का कुछ समय के लिए त्याग भी किया। "वेल" में उपस्थित मान्नीय सदस्यगण नारे लगाते रहे एवं उनके साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के मान्नीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अलग वनांचल राज्य की मांग से सम्बन्धित नारे लगाते रहे। इससे सदन में काफी शोरगुल व्याप्त हो गया।

अध्यक्ष महोदय, ने "वेल" में उपस्थित मान्नीय सदस्यों से अपने स्थान पर जाने एवं सदन में शांति बहाल करने की बार-बार अपील की एवं अंततः सदन की कार्रवाई 2.30 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी।

<u>विधायी कार्य</u> : राजकीय (वित्तीय) विधेयकः बिहार विनियोग विधेयक, 1993 :

मान्नीय मुख्य मंत्री, श्री लालू प्रसाद ने सभा की अनुमति से "बिहार विनियोग विधेयक, 1993," को पुरः स्थापित किया।

पुरः स्थापनोपरांत, मान्नीय मुख्य मंत्री ने उपयुक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में सभा की स्वीकृति से खण्ड-2, खण्ड-3, अनुसूचित, खण्ड-1, प्रस्तावना और नाम इस विधेयक के अंग बने।

खण्डश : विचारोपरान्त, मान्नीय मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि "बिहार विनियोग विधेयक, 1993 सभा द्वारा स्वीकृत हो"।

उपर्युक्त विधेयक कीं स्वीकृति के प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद में निम्नांकित मान्नीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डा॰ जगन्नाथ मिश्र, नेता, विरोधी दल,

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

(2) श्री राम परीक्षण साहू, (3) श्री चन्द्रमोहन राय,

(इस अवसर पर सभापति, श्री इन्दर सिंह नामधारी ने आसन ग्रहण किया।)

(4) श्री शशि कुमार राय, (5) श्री देवन्नदन प्रसाद,
(6) श्री योगेश्चर गोप, (7) श्री सुरेश प्रसाद यादव।

(वाद-विवाद जारी रहा।)

<u>सामान्य लोक हित के विषय पर विमर्श</u> :

मान्नीय सदस्य श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह के प्रस्ताव पर "राज्य" में व्याप्त सुखाड़ से उत्पादन स्थिति" पर विमर्श प्रारम्भ हुआ जिसमें निम्नांकित मान्नीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह,
(2) श्री ओम प्रकाश लाल,
(3) श्री जगदीश शर्मा,
(4) श्री देवनाथ प्रसाद,
(5) श्री खगेन्द्र प्रसाद,
(6) श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव,
(7) श्री राम लखन सिंह,
(8) श्री गिरिनाथ सिंह,
(9) श्री राम जतन सिन्हा,
(10) श्री सुमृत मंडल,
(11) श्री कृष्णान्नद झा,
(12) श्री रामधनी सिंह,
(13) श्री नरेन्द्र सिंह,
(14) श्री रामदेव वर्मा,

(विमर्श जारी रहा)

संदेश :

सभा-सचिव ने राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त निम्न संदेश को सदन में पढ़कर सुनाया :

"दिनांक- 16 जुलाई,1993 को बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित बिहार विधान मण्डल सदस्यों का वेतन, भत्त और पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1993 पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिनांक-28 जुलाई, 1993 को अपनी अनुमति प्रदान कर दी है।"

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श :

(मद संख्या-5 से जारी)

(15) श्री बच्चा चौबे, (16) श्री प्रेम कुमार,
(17) श्री रणवीर यादव, (18) श्री हेमलाल मुरमू,
(19) श्री इन्द्रनाथ भगत, (20) श्री रवीन्द्रचरण यादव,
(21) श्री बृजमोहन सिंह, (22) श्री बालिक राम,
(23) श्री शशि कुमार राय, (24) श्री ज्योतिन्द्र यादव,
(25) श्री शिवाधार पासवान, (26) श्री दशरथ कुमार सिंह,
(27) श्री विजय कुमार सिंह, (28) श्री राम परीक्षण साहू,
(29) श्री गुरुदास चटर्जी, (30) श्री उदय नारायण चौधरी,
(31) श्री उपेन्द्र नाथ दास, (32) श्रीमती गायत्री देवी,
(33) श्री विजय शंकर दूबे, (34) श्री चन्द्रदीप सिंह,
(35) श्री शकील अहमद, (36) श्री शकुनी चौधरी,
(37) श्री अवध बिहारी चौधरी, (38) श्रीमती ज्योति,
(39) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, एवं (40) श्री लालबाबू प्रसाद,

सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राम विलास सिंह के सरकारी उत्तर के उपरांत विमर्श स्वतः समाप्त हो गया।

उल्लेखनीय है कि सरकारी उत्तर के क्रम में कई बिन्दुओं पर मान्नीय मुख्य मंत्री ने भी स्थिति स्पष्ट की।

तदुपरांत, सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक–29 जुलाई, 1993 ई० के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गई।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचाल नियमावली के नियम 295 एवं 296 के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित।

निजी प्रेस, वातायन, फ्रेजर रोड, पटना–1 द्वारा मुद्रित